सत्यमेव जयते

व्यवसाय सूचना प्रकाशन माला 31

महिलाओं के लिए व्यवसाय

व्यवसाय अध्ययन केन्द्र,
केन्द्रीय रोजगार सेवा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान,
(रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय)
श्रम मंत्रालय, भारत सरकार,
पूसा, नई दिल्ली-110012

प्राक्कथन

आर्थिक क्रिया-कलापों में महिलाओं की सहभागिता न कोई नई घटना है और न ही कोई नया परिवर्तन। प्राचीन काल से भारत में महिलाओं ने घरों के साथ-साथ आर्थिक क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। हाल ही में, शिक्षा के क्षेत्र में हुए प्रसार से रहन-सहन के प्रति दृष्टिकोण मूल्यों अभिवृत्ति एवं धारणाओं में परिवर्तन हुआ है, जिससे महिलाओं में अपनी भूमिका की पहचान के प्रति तथा सामाजिक और धार्मिक अवरोधों को तोड़ कर श्रम शक्ति में अधिक से अधिक सहभागिता प्रदान करने की जागरूकता पैदा हुई है । इससे श्रम-बाजार में महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन लाने तथा उनके सामाजिक एवं आर्थिक स्तर को ऊपर उठाने में सहायता मिली है ।

प्रस्तुत प्रकाशन, "महिलाओं के लिए रोजगार" कार्य क्षेत्र प्रकाशन माला के अन्तर्गत न केवल परम्परागत आजीविका के सम्बन्ध में ही सूचना प्रदान करता है, अपितु महिलाओं द्वारा अपनाई जाने वाली नई उभरती हुई आजीविकाओं पर भी प्रकाश डालता है । जो आजीविका महिलाओं के लिए अधिक उपयुक्त है, उन पर विशेष जानकारी देने के प्रयास किये गए हैं । तथापि, यह सूची व्यापक न होकर मात्र सांकेतिक है क्योंकि आज महिलाएं, आर्थिक क्रिया-कलापों के प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वह वेतनभोगी रोजगार हो अथवा स्व-रोजगार, दोनों में आ रही हैं ।

सुधार के लिए सुझाव आमंत्रित है ।

तारीख : 31 अगस्त, 1988

डी. एस. रामा
निदेशक,
केन्द्रीय रोजगार सेवा
अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान,
पूसा, नई दिल्ली-110012.

आभार

हम आप सबके प्रति आभार व्यक्त करते हैं :—

1. डा० (श्रीमती) रीना रामचन्द्रन,
निदेशक
तेल और प्राकृतिक गैस आयोग,
(ओ० एन० जी० सी०)
नई दिल्ली

2. श्रीमती अंजू खन्ना
निदेशक
विपणन तथा प्रबंध संस्थान,
नई दिल्ली

3. श्रीमती टी० के० सरोजिनी,
संयुक्त निदेशक
महिला और बाल विकास
विभाग, मानव संसाधन विकास
मंत्रालय, नई दिल्ली

4. श्रीमती ललिता अय्यर,
सहायक निदेशक,
अखिल भारतीय प्रबंध संस्था,
नई दिल्ली

प्रोजेक्ट टीम

श्री सुरेश चन्द्र
वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी

डा० रश्मि अग्रवाल
अनुसंधान अधिकारी

श्री एस० पी० जोशी
वरिष्ठ तकनीकी सहायक

श्री एल० एम० तलवार
वरिष्ठ तकनीकी सहायक

कु० अनिता शर्मा
वरिष्ठ अनुवादक

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री
प्रूफ रीडर

कु० अनिता सैनी
प्रूफ रीडर

भारतीय संविधान, रोजगार संबंधी मामलों में अवसरों की समानता का आश्वासन देता है तथा लिंग, जाति, वर्ग, अथवा धर्म का ध्यान किए बिना सभी को जीविका के पर्याप्त साधन, समान कार्य के लिए समान वेतन के लिए, समान अधिकारों के संरक्षण हेतु और सभी के लिए कार्य की न्यायोचित मानवीय परिस्थितियों प्रदान करने के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकारों को निर्देश देता है । वह समाज में महिलाओं की स्थिति सुधारने में उनकी सहायता के लिए विशिष्ट प्रावधान भी बनाता है । महिलाओं की स्थिति को सुधारने में हुए संगठित प्रयासों के वावजूद भारतीय महिलाएं बहुत से क्षेत्रों में अभी भी पिछड़ी हुई है। भारतीय समाज के अधिकांश वर्ग की महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं हुआ है, सिवाय इसके कि उनके लिए स्वतंत्र रोजगार के अवसरों को प्रदान किया गया है । कालेज/विश्वविद्यालयों में पढ़ाई पूरी कर निकलने वाली महिला स्नातकों को यह आत्मसात कर लेना चाहिए कि कोई भी कार्य, भले ही वह जरूरत होने पर ही क्यों न किया जाए, न केवल रोटी कमाने का जरिया है, बल्कि अपनी अलग पहचान बनाने के लिए भी काम करना जरूरी है । उन्हें यह एहसास होना चाहिए कि ज्ञान और कुशलता का अर्जन कोई असंगत वृद्धि न होकर जीवन को सार्थक बनाने का एक उपयोगी साधन है ।

विश्व में भारत सबसे अधिक जनसंख्या वाला दूसरा देश है । 1981 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 3310 लाख की थी जबकि इस शताब्दी के प्रारम्भ में अर्थात 1901 में 1170 लाख थी। अतः 80 वर्षों में अर्थात 1901-1981 के दौरान, महिलाओं की जन संख्या में 2130 लाख अथवा 182% की वृद्धि हुई । इसी अवधि के दौरान पुरूषों की जनसंख्या में 2330 लाख अथवा 193% की वृद्धि हुई । अनुमान है कि वर्ष 2001 में महिलाओं की जनसंख्या लगभग 4800 लाख हो जाएगी । यह भी अनुमान है कि वर्ष 2000 में महिला श्रम शक्ति 1180.4 लाख होगी । यद्यपि 1981 की जनगणना के

स्त्रोत :—सारणी 4.1, 4.5— भारत में महिलाएं—एक सांख्यिकीय रूपरेखा–1988 और बाल विकास विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ।

अनुसार प्रति 1000 पुरूष की तुलना में 933 महिलाए थी, तो भी रोजगार में उनकी सहभागिता केवल लगभग 21% थी । तीन चौथाई से अधिक महिला ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती हैं और उनमें से लगभग 88% ग्रामीण क्षेत्रों में ही नियोजित है । महिला श्रम का दूसरा पक्ष यह है कि महिलाओं द्वारा किए जाने वाले अधिकांश कार्य के लिए कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है । अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा किए गए एक अध्ययन से यह अनुमान लगाया गया है कि विकासशील देशों में अवैतनिक गृह कार्य का मूल्य कुल सकल राष्ट्रीय उत्पाद का 25 से 90% होता है । सातंवी पंचवर्षीय योजना में भी यह स्वीकार किया है कि पारिवारिक आय में वृद्धि हेतु ग्रामीण महिलाओं का लगभग 54% और शहरी महिलाओं का 26% भाग ही सीमान्त आजीविका में लगा हुआ है ।

किसी व्यक्ति की स्थिति को निर्धारित करने वाले अति महत्वपूर्ण कारकों में से शिक्षा एक है । किसी नौकरी हेतु उसकी उपयुक्तता के निर्धारण में शिक्षा का स्तर एक मुख्य भूमिका निभाता है । महिलाओं की साक्षरता की दर 1901 में 0.69% से बढ़कर 1981 में 24.82% हो गई । इसी अवधि के दौरान पुरूषों की साक्षरता दर 9.83% से बढ़कर 46.89% हो गई । पिछले 80 वर्षों के दौरान, पुरूषों की साक्षरता दर में वृद्धि 37% थी जबकि महिलाओं में 24% । फिर भी वह संतोष जनक स्थिति नहीं है । यदि हम शिक्षा के स्तर द्वारा पुनः साक्षरता दर का विश्लेषण करते हैं तो ज्ञात होता है कि वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार मैट्रिक अथवा उच्चतर माध्यमिक स्तर की साक्षरता दर महिलाओं में 12.43% थी जबकि पुरूषों की 17.27%। स्नातकों में, यह और भी कम थी अर्थात पुरूषों की 4.42 की अपेक्षा महिलाओं में 2.96%। 1950-51 से 1984-85 के दौरान महिला विद्यार्थियों की नामांकन संख्या में एक महत्वपूर्ण वृद्धि हुई । इसकी संख्या उच्च/उच्चतर माध्यमिक स्तर पर 162,000 से बढ़कर 43,45,000 और स्नातक एवम् स्नातकोत्तर स्तर पर 19,000 से 900,000 हो गई । चिकित्सा एवं विधि जैसे संकायों में भी पुरूषों की अपेक्षा महिलाओं का प्रतिशत काफी कम था । जबकि इन क्षेत्रों में बहुत दक्ष व्यक्तियों की अपेक्षा है, तथा कार्य परिवेश भी महिलाओं के लिए काफी अनुकूल है ।

नई शिक्षा नीति के अंतर्गत विषयों के व्यवसायीकरण पर बहुत जोर दिया जा रहा है । +2 स्तर पर व्यावसायिक विषयों को प्रारम्भ किया जा रहा है ताकि सामान्य शिक्षा में बढ़ते हुए नामांकन को कम किया जा सके और विद्यार्थियों को अपने व्यवसायों के लिए तैयार किया जा सके । दिल्ली विश्वविद्यालय ने भी पूर्व-स्नातकों के स्तर पर कुछ व्यावसायिक विषय प्रारम्भ किये है, जैसे कम्प्यूटर विज्ञान, इलेक्ट्रोनिक्स; औद्योगिक संपर्क एवं कार्मिक प्रबन्ध, उद्यमवृत्ति विकास, बिजनेस द्वारा प्रोसेसिंग आंकड़े, परिवार और बाल कल्याण तथा सचिवीय कार्य प्रणाली। दिल्ली विश्वविद्यालय में पर्यटन, कार्यालय प्रबन्ध, फुटकर व्यापार, बीमा भंडारण/प्रबन्ध विषयों को पूर्वस्नातक स्तर पर पहले ही शुरू किया जा चुका है। इन विषयों में लड़कियों की प्रतिक्रिया अत्यंत उत्साहवर्धक रही है ।

विभिन्न विश्वविद्यालयों ने महिलाओं के लिए पृथक पाठ्यक्रम चलाए हैं । दिल्ली विश्वविद्यालय (प्रबन्ध संकाय) में महिलाओं के लिए कार्यालय पर्यवेक्षण में प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम चलाया जाता है । कम से कम 19 वर्ष के स्नातक इस पाठ्यक्रम के लिए योग्य माने जाते हैं। अभी हाल ही में, तिरुपति (आ०प्र०) में पदमावती महिला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया, जिसमें महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने के लिए विशेष पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की गई है । महिलाओं को एक बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण अवसर प्रदान करने के लिए एक महिला राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान (एन०वी०टी०आई०) मार्च, 1977 में दिल्ली में स्थापित किया गया । बम्बई, बंगलोर और त्रिवेन्द्रम में भी उसके तीन क्षेत्रीय कार्यालय खोले गए । वे संस्थान आधारभूत कौशल तथा उन्नत कौशल में प्रशिक्षण प्रदान करते हैं । तथा कुछ चुने हुए व्यापारों में शिक्षकों के, प्रशिक्षण का भी प्रबन्ध करते हैं । सातवीं पंच-वर्षीय योजना के दौरान, पांच अतिरिक्त क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया । इसके अतिरिक्त, व्यावसायिक प्रशिक्षण के अवसर आई०टी०आई० (ओ०प्र०सं०) में भी है । सभी आई०टी ०आई० में महिलाएं प्रशिक्षण प्राप्त कर सकती हैं । दिसम्बर 1986 में लगभग 230 महिला आई०टी०आई० महिला विंग स्थापित किए गए, जिनमें लगभग 18,186 स्वीकृत सीटें हैं । इसके अतिरिक्त शिक्षु प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत लड़के और लडकियों के लिए 218 विशिष्ट उद्योगों मे 146

पूर्व निर्दिष्ट व्यवसाय है । व्यावसाय प्रशिक्षण के प्रशिक्षण की अवधि 6 महीने से 4 वर्ष की है, जो व्यवसाय की आवश्यकताओं पर निर्भर करती है । यह प्रशिक्षण सामान्यतः एक वर्ष में दो बार फरवरी मार्च एवं अगस्त सितम्बर में किया जाता है । शैक्षिक अर्हताएं 5 वीं कक्षा से दसवीं कक्षा अथवा समकक्ष होती है । प्रशिक्षण के दौरान वृत्तिका की दर 290 पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे वर्ष में क्रमशः 290 रु०, 330 रु०, 380 रु०, और 400 रु० प्रतिमाह होती है जो प्रशिक्षण की अवधि के आधार पर होती है । 31 दिसम्बर 1986 में शिक्षु प्रशिक्षण लेने वाले 1,32,318 में से 3,633 महिला शिक्षार्थी थीं ।

जीवन की आधुनिकता एवं रहन-सहन के उच्च स्तर ने महिलाओं को व्यवसाय के लिए उत्साहित किया है । दिसम्बर 1987 के अंत में रोजगार केन्द्रों में 5,371 लाख महिलाओं के नाम रजिस्टर्ड थे । यह महिलाओं का वैतनिक व्यवसायों के प्रति रूचि का सूचक है । रोजगार केन्द्रों में पंजीकृत महिलाओं की संख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है, जैसा कि हम देखते हैं, दिसम्बर 1980 के अंत में रोजगार केन्द्रों में पंजीकृत महिलाओं की संख्या केवल 23.50 लाख थी ।

पिछले कुछ दशकों में भारत में नियोजन क्षेत्र की सबसे अधिक उल्लेखनीय विशेषता यह रही है कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में रोजगार की इच्छुक महिलाओं की संख्या में वृद्धि हुई है । महिलाओं के रोजगार को हतोत्साहित करने वाली पुरानी सामाजिक प्रथाएं, रूढ़ियां एवं अन्य अवरोधक तत्व अब धीरे-धीरे कम होती जा रही हैं । आज, हम देखते हैं कि अधिक से अधिक महिलाएं अधिशासी, प्रवन्धकीय एवं व्यावसायिक नौकरियां कर रही हैं । उनमें से कुछ तो सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों में ही प्रशासन में उच्च पद तक पहुंची हैं । जनवरी 1987 को आई०ए०एस० भारतीय प्रशासनिक सेवा में से 339 महिलाएं और आई० पी० एस० (भारतीय पुलिस सेवा) में 2,439 में से केवल 21 महिलाएं थीं । सरकार ने 1990 तक सिविल सेवाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 20% तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है । सरकार द्वारा महिलाओं को सिविल नौकरियों के प्रति आकर्षित करने हेतु किए गए

सतत् एवं सक्रिय प्रयासों से महिला कर्मचारियों का अनुमान मुख्यत: आठ से तेरह प्रतिशत बढ़ाया। भारतीय रेलवे लगभग 43,000 महिलाओं को नियोजित करती है । कुछ उदाहरण यह दर्शाते हैं कि महिलाओं के रोजगार पद्धति में धीरे-धीरे किन्तु मूलभूत परिवर्तन किया जा रहा है। आजकल, काफी संख्या में महिला कर्मचारी व्यावसायिक नौकरियों जैसे अध्यापन, नर्सिंग, विक्रय सेवा, सचिवीय आदि नौकरियों को वरीयता देती है, जिन्हें वे अपनी रूचि के अनुकूल पाती हैं ।

यदि हम संगठित क्षेत्र में महिला रोजगार का विश्लेषण करें तो हम पाते हैं कि वह 1971 से 11% से 1981 में 14% है। यद्यपि इस अवधि के दौरान, कृषि एवं सहायक क्रियाकलापों तथा निर्माण कार्य में ह्रास हुआ है, परन्तु फिर भी विनिर्माण, परिवहन, संचार और सेवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है । इसी प्रकार असंगठित क्षेत्र में भी 1971 में 18% से 1981 में 21% तक वृद्धि हुई है ।

यदि हम, 1971 और 1981 की जनगणना के दौरान, अर्थ व्यवस्था के विविध क्षेत्रों के व्यवसायों में लगी महिला श्रम शक्ति का अध्ययन करते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि प्रशासनिक, अधिकासी और प्रबन्धकीय श्रमिकों में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है, जबकि हस्तचालित व्यवसायों में ह्रास हुआ है ।

1. अध्यापन व्यवसाय

"एक शिक्षक बनने की आकांक्षा रखने वाले व्यक्ति का सही लक्ष्य ज्ञान-ज्योति को प्रदीप्त करना होना चाहिए"। अध्यापन एक विस्तृत क्षेत्र है, जो मोन्टेसरी, नर्सरी, बाल-विहार, बेसिक प्राइमरी विद्यालय में पूर्व प्राइमरी और प्राइमरी अध्यापक माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अध्यापकों, विषय के विशेषज्ञ अध्यापकों, शारीरिक रूप से विकलांगों हेतु अध्यापकों, शारीरिक शिक्षा अध्यापक एवं कालेज/विश्वविद्यालय प्राध्यापकों आदि के रूप में रोजगार प्रदान करता है । अधिकांशत:

प्राइमरी और माध्यमिक विद्यालयों में महिला अध्यापिकाएं ही अध्ययन कार्य कर रही हैं । तथापि, अपने ही घर में अपना नर्सरी स्कूल अथवा निजी प्रशिक्षण संस्थान खोलने की भी काफी संभावना रहती है । बड़े और छोटे शहरों में बड़ी संख्या में निजी तथा सरकारी विद्यालय होते हैं जहां पुरुष और महिला शिक्षक नियोजित किए जाते हैं । सभी प्रकार के विद्यालयों में सामान्य शिक्षा के लिए महिला अध्यापिकाओं की संख्या वर्ष 1950-51 में 1.15 लाख से बढ़कर वर्ष 1984-85 में 0.90 हो गई ।

पूर्व-प्राइमरी अथवा/प्राइमरी विद्यालय अध्यापक सामान्यत: दसवीं कक्षा पास होते हैं और नर्सरी/प्रारंभिक शिक्षण में डिप्लोमा अथवा प्रमाण-पत्र प्राप्त होते हैं । उच्च-माध्यमिक विद्यालयों में अधिकांशत: प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक नियोजित किए जाते हैं, जिनके पास स्नातक उपाधि एवं शिक्षा (शि० स्ना०) में एक वर्ष के शिक्षा स्नातक की उपाधि होती हैं । ऐसे काफी संस्थान हैं जो शिक्षा में प्रशिक्षण प्रदान करते हैं । वर्ष 1985-86 में, बी०एड० का लगभग 37,400 लड़कियों और 48,000 लड़कों ने प्रशिक्षण लिया । कुछ विश्वविद्यालय शि० स्ना० अथवा एम० ए० उपाधि पाठ्यक्रमों के लिए अध्यापकों को निजी स्तर पर परीक्षा देने के लिए स्वीकृति भी प्रदान करते हैं । सरकार द्वारा नियंत्रित संस्थानों में भर्ती, सामान्यत: रोजगार केन्द्रों के माध्यम से ही की जाती है । तथापि, पब्लिक स्कूल अथवा प्राइवेट स्कूल अपने रिक्त पदों को भरने के लिए प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापन देना अधिक पसंद करते हैं ।

उच्च माध्यमिक विद्यालय भी ऐसे स्नातकोत्तर प्रशिक्षित अध्यापक नियोजित करते हैं, जो विषय विशेषज्ञ के रूप में जाने जाते हैं । सामान्यत: वे उच्च माध्यमिक कक्षाओं को कोई एक विशेष विषय पढ़ाते हैं । वे अपने विषय में स्नातकोत्तर होते हैं, तथा बी०एड० अथवा एम०एड० उपाधि प्राप्त होते हैं । उनकी नियुक्ति की भी वही पद्धति होती है जो प्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों के लिए है । जैसा कि नौकरियों के लिए उपलब्ध महिला अध्यापकों की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है, अध्यापकों की भर्ती में कड़ी प्रतियोगिता है । विज्ञान विषयों को पढ़ाने हेतु योग्य महिला अध्यापकों के लिए रोजगार के अधिक अवसर हो सकते हैं ।

इसके अतिरिक्त, कला, हस्तशिल्प, संगीत, गृह विज्ञान आदि व्यावसायिक विषयों को पढ़ाने के लिए भी अध्यापक होते हैं । विद्यालयों में एक या दो शारीरिक शिक्षा अध्यापक भी नियोजित किये जाते हैं । कुछ विद्यालयों में योग-शिक्षा अध्यापकों को भी नियोजित किया जाता है । जो इन पदों के इच्छुक होते हैं, उन्हें अपने कार्य क्षेत्र में विशेषता हासिल करनी चाहिए जैसे संगीत-अध्यापक के पद के इच्छुक व्यक्तियों के पास संगीत में उपाधि अथवा डिप्लोमा होना चाहिए । जो, चित्रकला अथवा कला अध्यापन के इच्छुक हों, उनके पास वाणिज्यिक कला में उपाधि अथवा डिप्लोमा होना चाहिए । ऐसे अनेक संस्थान हैं, जो इन कार्य-क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान करते हैं । तथापि किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में ही प्रशिक्षण प्राप्त करना बेहतर है ।

नई शिक्षा नीति के अंतर्गत अनेक व्यावसायिक विषयों जैसे—बैंकिंग, आशुलिपि, आंतरिक साज-सज्जा, बिक्री, विज्ञापन, बीमा, पुस्तकालय-विज्ञान, टेक्सटाइल-डिजाइनिंग, आदि +2 के स्तर पर शुरू किए जा रहे हैं । निकट भविष्य में इन व्यावसायिक विषयों को पढ़ाने के लिए काफी संख्या में अध्यापकों की मांग की संभावना है ।

नियमित अध्यापक स्टाफ के अतिरिक्त, अन्य ऐसे शिक्षक भी होते हैं, जो शारीरिक रूप से विकलांग अथवा मन्दितमना बालकों को पढ़ाते हैं । वे अध्यापक उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रमाण-पत्र अथवा स्नातक उपाधि प्राप्त करने के साथ अपने संबंधित कार्य-क्षेत्र में प्रशिक्षण प्राप्त होते हैं । शांतचित्त वाले व्यक्ति ही इन पदों के लिए अधिक उपयुक्त होते हैं । इस प्रकार का विशेष प्रशिक्षण देने की सुविधाएं मानसिक रूप से विकलांग बालकों के बम्बई स्थित विद्यालय, बम्बई सरकारी स्नातकोत्तर मूलभूत प्रशिक्षण कालेज, चण्डीगढ, अध्यापक प्रशिक्षण कालेज, लखनऊ में उपलब्ध है । मानसिक बाधाग्रस्त राष्ट्रीय संस्थान, सिकन्दराबाद (आ०प्र०) में प्रवेश उन दसवीं कक्षा पास व्यक्तियों को दिया जाता है, जो नियोजकों द्वारा प्रायोजित होते हैं । चुने हुए उम्मीदवारों को मासिक वृत्तिका दी जाती है तथा प्रशिक्षण के उपरांत उन्हें उनके नियोजकों द्वारा रोजगार प्रदान किया जाता है । कल्याण मंत्रालय भी शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के संरक्षण तथा सहायता के लिए विविध प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करती है और अनेक संस्थान चलाती है ।

बहुत सी स्वैच्छिक संस्थाएं शारीरिक रूप से विकलांग अथवा मन्दितमना बालकों के लिए विद्यालय चलाते हैं । सामान्यतः वे इन विशेषज्ञ अध्यापकों को ही नियोजित करते हैं । अतः इनके रोजगार के अवसर बहुत सीमित होते हैं ।

विश्वविद्यालय एवं कालेज भी महिलाओं को अच्छी नौकरियां प्रदान करते हैं । वे प्राध्यापक के रूप में पदग्रहण कर प्रोफेसर/विभाग अध्यक्ष के स्तर तक पदोन्नति प्राप्त कर सकते ह । आम तौर पर केवल वे ही प्राध्यापक के रूप में नियोजित किये जाते हैं जिन्होंने स्नातकोत्तर परीक्षा प्रथम श्रेणी/उच्च द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण की हो और उनके पास एम० फिल० अथवा पीएच०डी० की उपाधि हो । महिला प्राध्यापक न केवल महिला कालेजों में ही नियोजित किए जाते हैं अपितु अन्य कालेजों एवं विश्वविद्यालय संकायों में भी नियोजित किए जाते हैं । जो विज्ञान विषय में आगे शिक्षा प्राप्त करती हैं, उन्हें प्रयोगशालाओं में प्रदर्शक (डेमान्स्ट्रेटर) के रूप में नियुक्त किया जाता है ।

सभी कालेजों/विश्वविद्यालयों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू०जी०सी०) द्वारा अनुमोदित वेतनमान एवं सेवा की शर्तें लागू होती हैं । वि०अनु०आ० ने इस बात पर जोर दिया है कि जो प्राध्यापक के पद पर नियुक्त किये जाते हैं, उनके नाम से कुछ प्रकाशित सामग्री होनी चाहिए । जिनके पास लेखन क्षमता है वे जीवन कार्य में अपने विषय का उपयोग कर सकते हैं । उनके नाम से प्रकाशित सामग्री उनके उच्च स्तर के पदों जैसे रीडर, सह आचार्य (एसोसिएट प्रोफेसर) आदि की पदोन्नति में सहायक सिद्ध होती है ।

2. पुस्तकालय विज्ञान

पुस्तकाध्यक्ष वह व्यक्ति होता है, जो पुस्तकालय में पुस्तकों, पत्रिकाओं और अन्य प्रकाशनों को व्यवस्थित रूप से रखता है और खरीदे जाने वाले चुनिंदा प्रकाशनों को वर्गीकृत करता है, उनकी सूची बनाता है और उन्हें व्यवस्थित क्रम में रखता है । वह आगन्तुकों को उनके अध्ययन और रुचि के अनुसार उपयुक्त पठनीय सामग्री के चयन में भी मदद करता है। उससे यह भी अपेक्षित है कि वह पुस्तकों के अभिलेखों को सुरक्षित रखे तथा पाठकों को पुस्तकें आदि जारी करे ।

पुस्तकालय में एक व्यक्ति द्वारा चलाये जाने वाले पुस्तकों के छोटे संग्रह से लेकर बड़े विभागीय पुस्तकालय तक शामिल होते हैं, जिनकी अनेक शाखाएं होती हैं और जिनमें काफी संख्या में कर्मचारी नियोजित होते हैं । इनके कार्य और उद्देश्य भी भिन्न होते हैं जबकि दूसरी ओर हमारे पास विशिष्ट पुस्तकालय है जो विशेष प्रकार के वैज्ञानिकों, इंजीनियरों एवं शिल्प वैज्ञानिकों, चिकित्सा कार्मिकों आदि के समूह की सेवा हेतु बनाए गए हैं । एक पुस्तकालय में कार्य करने वाले व्यक्तियों को पुस्तकाध्यक्ष, उपसहायक पुस्तकाध्यक्ष, सूचीकार, संदर्भ पुस्तकाध्यक्ष, प्रलेख सहायक/अधिकारी, काउंटर सहायक आदि के नाम से जाना जाता है । पुस्तकाध्यक्ष को सहायता करने वाले कर्मचारी पुस्तकालय तकनीशियन/सहायक के रूप में जाने जाते हैं । उनके कार्यों में पुस्तकालय में आने वाली सामग्री को छाँटना और जांच करना, पुस्तकों को देना तथा पुस्तकों एवं पत्रिकाओं को सुरक्षित जगह पर रखना आदि सम्मिलित है । काउंटर सहायक पुस्तक जारी करते हैं और वह सुनिश्चित कर लेते हैं कि वापसी के समय पुस्तकें ठीक स्थिति में हैं ।

पुस्तकाध्यक्ष का कार्यक्षेत्र काफी विस्तृत है । विद्यालयों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, कल्याणकारी संस्थाओं, मंत्रालयों, सार्वजनिक क्षेत्र संगठनों, औद्योगिक इकाइयों, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों, ट्रेड यूनियन संगठनों और महत्वपूर्ण क्लबों आदि में, उनकी आवश्यकतानुसार पुस्तकालय होते हैं । पुस्तकालय विज्ञान में रोजगार के इच्छुक व्यक्तियों को इस विषय में व्यावसायिक पाठ्यक्रम का अध्ययन करना चाहिए । एक वर्ष की अवधि के प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम में दसवीं पास व्यक्ति प्रवेश ले सकता है । पुस्तकालय विज्ञान में डिप्लोमा पाठ्यक्रम महिला पोलिटेक्नीक में भी उपलब्ध है । इसमें दसवीं कक्षा पास व्यक्ति प्रवेश ले सकते हैं । पुस्तकालय विज्ञान में उपाधि केवल स्नातक ही ले सकते हैं । पुस्तकालय विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि में भी प्रवेश लिया जा सकता है, जो एक वर्ष की अवधि का है । दिल्ली विश्वविद्यालय, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय और पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ से पुस्तकालय विज्ञान में पीएच०डी० भी की जा सकती है ।

पुस्तकालय कार्य का स्वरूप आंतरिक होने के कारण अधिकांशतः महिलाओं की रूचि इसमें रहती है । विद्यालयों और कॉलेज पुस्तकालयों एवं ऐसे ही अन्य संगठनों में भर्ती रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की

जाती है । सरकारी विभागों और मंत्रालयों में कनिष्ठ स्तर के पदों को रोज़गार कार्यालयों अथवा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा भरा जाता है । मंत्रालयों में इन्हें रु० 2200-4000 अथवा रु० 3000-4500 के वेतनमान में नियुक्त किया जाता है । पुस्तकालय सहायकों को रु० 1400-2300 के वेतनमान में नियुक्त किया जाता है ।

3. दुभाषिया/अनुवादक

दुभाषिया, एक विदेशी भाषा के उच्चरित वाक्यों को दूसरी किसी भाषा में रूपांतरित करता है । वे किसी व्यक्ति द्वारा बोले गए कथन का मौखिक अनुवाद किसी ऐसी भाषा में करते हैं जिसे अन्य लोग समझ सकें । इसमें दो प्रकार के दुभाषिये होते हैं—साथ-साथ रूपांतरण करने वाला और क्रमिक रूप से रूपांतरण करने वाला । साथ-साथ रूपांतरण करने वाला दुभाषिया दूसरी भाषा में बोले गये वाक्य रूपांतरित कर सकता है, जो स्त्रोत भाषा में अभी पूरा ही किया जा रहा होता है । उसे उस वक्ता की उच्चारण सम्बन्धी आदतों से परिचित होना चाहिए, जिसका भाषण रूपांतरित किया जा रहा हो । सामान्यत: सभी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में साथ-साथ रूपांतरण करने वाले दुभाषिये ही नियोजित किए जाते हैं । क्रमिक रूप से रूपांतरण करने वाला दुभाषिया, वक्ता के रुकने की प्रतीक्षा करता है और तदनन्तर दूसरी भाषा में वक्ता द्वारा कहे गए कथन का रूपांतरण करता है । वक्ता को दूसरा वाक्य बोलने के लिए तब तक प्रतीक्षा करनी होती है जब तक उसका दुभाषिया उसके द्वारा कहे गए पूर्व कथन को रूपांतरित नहीं कर लेता है । इस प्रक्रिया में, प्रत्येक वाक्य दोहराया जाता है, अत: वह पद्धति साथ-साथ रूपांतरण करने की पद्धति से दुगना समय लेती है ।

एक दुभाषिये को सदैव उस स्थान पर बैठाया जाना चाहिए जहां से वह सब कुछ जो हो रहा है, उसे साफ रूप से देख और सुन सके । अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में इन्हें अक्सर शीशे के केबिन में बैठाया जाता है । दुभाषिये अधिकतर दूतावासों, बड़े आयात निर्यात एजेन्सियों में नियोजित किये जाते हैं । कभी-कभी इन्हें अल्प अवधि के कार्य भी मिलते हैं । वे अतिविशिष्ट व्यक्तियों के साथ दूसरे देशों के दौरे पर भी जाते हैं ।

अनुवादक विषय-सामग्री के सार और भाव को ध्यान में रखते हुए एक भाषा में लिखित सामग्री को दूसरी भाषा में परिवर्तित करते हैं। दुभाषिये और अनुवादक सामान्यतः स्नातक होते हैं तथा इनको दोनों भाषाओं की अच्छी जानकारी होती है।

अनुवादकों की नियुक्ति, राज्य और केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों, सार्वजनिक उपक्रमों और मुख्य निजी संगठनों में विषय सामग्री, प्रकाशनों, परिपत्रों, आदेशों आदि को हिन्दी एवं अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करने के लिए की जाती है। कर्मचारी चयन आयोग भी हिन्दी अनुवादकों के चयन हेतु एक लिखित परीक्षा का संचालन करता है।

(1) सामान्य हिन्दी

(2) सामान्य अंग्रेजी

(3) निबन्ध एवं सार लेखन

जो उम्मीदवार वरिष्ठ/कनिष्ठ हिन्दी अनुवादकों के पद के इच्छुक हों, उन्हें निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होती हैं :—

कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक

स्नातक स्तर पर अंग्रेजी/हिन्दी विषय के साथ स्नातकोत्तर उपाधि।

अथवा

हिन्दी और अंग्रेजी मुख्य विषय सहित स्नातक उपाधि एवं हिन्दी से अंग्रेजी तथा अंग्रेजी से हिन्दी अनुवाद में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा/प्रमाण पत्र।

अथवा

स्नातक उपाधि के अतिरिक्त केन्द्रीय/राज्य सरकार/भारत सरकार के उपक्रम में दो वर्ष का अनुवाद कार्य का अनुभव।

वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक

1. हिन्दी में स्नातकोत्तर उपाधि और स्नातक स्तर पर मुख्य विषय के रूप में अंग्रेजी अथवा अंग्रेजी में स्नातकोत्तर उपाधि और मुख्य विषय के रूप में हिन्दी।

2. अनुवाद पाठ्यक्रम में डिप्लोमा/प्रमाण पत्र। बहुत से विश्वविद्यालयों में अनुवाद में डिप्लोमा और प्रमाण पत्र उपलब्ध हैं।

4. वाणिज्यिक और सचिवीय कार्य

वाणिज्यिक एवं सचिवीय कार्य से आशय, वाणिज्यिक क्रिया-कलापों, प्रशासन एवं अन्य सहायक क्षेत्रों में नियोजित मुख्यत: मानवशक्ति के संचालन में इंजीनियरी के लिए बाबूगिरी जैसी नौकरियों से है। इसमें मुख्यत: लिपिक, टाइपिस्ट, स्वागतकर्ता, निजी सहायक एवं आशुलिपिक, लेखा लिपिक एवं कार्यालय सहायक आदि जैसे पद सम्मिलित हैं।

केन्द्रीय एवं राज्य सरकार और दोनों निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों के महत्वपूर्ण औद्योगिक एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में इन व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। इन व्यवसायों में महिलाओं की काफी संख्या है। यह संख्या दिनों-दिन बढ़ती जा रही है। महिलाओं में इन नौकरियों की लोकप्रियता का कारण मुख्यत: कार्य के निश्चित घण्टे और डेस्कवीय हैं।

लिपिक

राज्य लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड, बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड आदि लिपिकीय नौकरियों के लिए पुरुषों और महिलाओं की भर्ती करते हैं। इन प्रतियोगी परीक्षाओं सम्बन्धी विज्ञापन, रोजगार समाचार-पत्र एवं मुख्य समाचार पत्रों में निकाले जाते हैं। कर्मचारी चयन आयोग लिपिकीय परीक्षा का आयोजन करता है, जिससे केन्द्रीय सरकार, दिल्ली प्रशासन, नगर-निगम, नई दिल्ली नगरपालिका समिति, दिल्ली विद्युत प्रदाय उपक्रम, आदि की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। शैक्षिक अर्हताएं केवल दसवीं कक्षा एवं आयु वर्ग 18–25 वर्ष/अवर श्रेणी लिपिक को लिपिकीय स्वरूप का नेमी कार्य करना होता है जैसे डाक का पंजीकरण, विविध रजिस्टरों का रख-रखाव, सूचीकरण, अभिलेखीकरण, मिलान, प्रेषण और विविध सामाजिक विवरणियों की तैयारी, नेमी और सरल प्रारूपों को प्रस्तुत करना आदि। इस नौकरी के लिए टंकण की अच्छी जानकारी होना अपेक्षित है। भर्ती एक लिखित परीक्षा के माध्यम से होती है। जिसमें चार भागों में प्रश्न होते हैं–सामान्य ज्ञान, अंग्रेजी भाषा, संख्यात्मक क्षमता और लिपिकीय क्षमता। प्रश्न पत्र वस्तुपूरक बहु-विकल्पी प्रकार के होते हैं तथा उम्मीदवारों

को पास होने के लिए चारों भागों में पृथक पृथक रूप से पास होना होता है । निर्धारित वेतनमान रु० 950–1500 है । वर्ष 1986 में कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित लिपिकीय श्रेणी परीक्षा में सफल हुए 23,269 उम्मीदवारों में से 6623 सफल महिला उम्मीदवार थी जो लगभग 28.5% बैठता है । इसी प्रकार की परिक्षाएं विभिन्न भर्ती एजेन्सियों—जैसे राज्य लोक सेवा आयोग, बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड, रेलवे भर्ती बोर्ड आदि के माध्यम से लिपिकीय श्रेणी हेतु आयोजित की जाती है ।

आशुलिपिक

आशुलिपिक अंग्रेजी/हिन्दी अथवा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में श्रुतलेख लेते हैं । तथा उस श्रुतलेख का टंकण द्वारा क्रियान्तरण करते हैं । वे सामान्यत: एक या अधिक अधिकारियों/ व्यवसाय कार्यपालकों के साथ कार्य करते हैं । छोटे कार्यालयों में इन्हें लिपिकीय कार्य भी करने पड़ते हैं । अधिकांश निजी संगठन महिला आशुलिपिकों निजी सचिवों को वरीयता देते हैं ।

केन्द्रीय सरकार में आशुलिपिकों की भर्ती संघ लोक सेवा आयोग तथा कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से की जाती है । 18-25 वर्ष के आयु वर्ग में दसवीं कक्षा पास व्यक्ति ही लिखित परीक्षा में शामिल हो सकते हैं । आशुलिपि परीक्षा के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में 100 तथा 120 शब्द प्रति मिनट एवं कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में 80 तथा 120 शब्द प्रति मिनट की गति ली जाती है । वर्ष 1986 में कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित आशुलिपिक परीक्षा में सफल महिला उम्मीदवारों की प्रतिशत 46% था, जो काफी उत्साहवर्धक है । संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से केन्द्रीय सरकार में कार्यग्रहण करने वाले आशुलिपिक पांच वर्ष के उपरांत संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अनुभाग अधिकारी के लिए विभागीय परीक्षा में बैठ सकते हैं ।

स्वागतकर्ता टेलीफोन आपरेटर

स्वागतकर्ता, वह पूछताछ लिपिक है, जो आगंतकों और ग्राहकों का स्वागत करती है तथा उनको अपेक्षित एवं आवश्यक सूचना देती है ।

वह सम्बन्धित अधिकारियों के साथ बैठकों और साक्षात्कारों की व्यवस्था करती है । इस प्रकार का पद उनके लिए उपयुक्त है जो स्वभाव से मिलन सार होते हैं तथा जीवन के विविध क्षेत्रों से सम्बन्धित व्यक्तियों से मिलना चाहते हैं । एक स्वागतकर्ता का व्यक्तित्व अच्छा होना चाहिए तथा उसे शिष्टाचार का ज्ञान भी होना चाहिए जो कि किसी आगन्तुक के साथ संपर्क का प्रमुख सूत्र है । शैक्षिक योग्यता दसवीं पास है । तथापि भाषा पर अच्छा अधिकार रखने वाले स्नातकों को वरीयता दी जाती है । विदेशी भाषा का ज्ञान एक अतिरिक्त गुण माना जाता है । कुछ छोटे संगठनों में, स्वागतकर्ता को टेलीफोन नियंत्रक बोर्ड पर भी कार्य करना पड़ता है । रिसेप्शन में प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम देश के मुख्य शहरों में स्थित खाद्य शिल्प संस्थानों में उपलब्ध है । जो पी०बी०एक्स० का संचालन सीखना चाहते हैं, उन्हें विविध संस्थानों में उपलब्ध 3 महीने का प्रशिक्षण लेना होता है । केन्द्रीय सरकार के टेलीफोन विभाग द्वारा नियोजित किये जाने वाले टेलीफोन ऑपरेटरों को विभाग में 10 सप्ताह का सेवाकालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पास करना होता है ।

रेलवे विभाग भी अपने कार्यालयों में लिपिकों/आशुलिपिकों के अतिरिक्त आरक्षण लिपिकों के रूप में काफी संख्या में महिलाओं को नियोजित करता है । इन पदों में भर्ती रेलवे भर्ती बोर्ड के माध्यम से की जाती है । इसके लिए सामान्यतः शैक्षिक अर्हता स्नातक की उपाधि है ।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में भी लिपिकीय श्रेणी हेतु वस्तुपूरक परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है । निजी क्षेत्र में विशेषकर टाईपिस्ट एवं आशुलिपिकों के लिए लिखित परीक्षाएं ली जाती है । शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएं, लगभग सरकारी विभागों में निर्धारित योग्यताओं के समान होती हैं ।

5. विक्रय व्यवसाय

विक्रय, विपणन का पूरक है, जो समग्र कार्य नीति से सबसे अधिक जुड़ा हुआ है । एक कंपनी के उत्पादों की बिक्री अथवा ऐसे उपभोक्ताओं जो स्वयं पुनः बिक्री करते हैं अथवा उपयोग करते हैं को सेवा प्रदान करने की जिम्मेदारी विक्रयकर्ता, कंपनी प्रतिनिधि, विक्रय इंजीनियर अथवा व्यावसायिक विक्रयकर्ता की होती है । अतः वह देखा गया है कि

अधिकांश विक्रयकर्ता फुटकर व्यापारियों को उत्पादों का विक्रय करते हैं और उनकी समान संख्या के ही विक्रयकर्ता अन्य औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को सहायक उपकरणों और पुर्जे बेचते हैं एवं अन्य संयंत्र तथा उपकरण बेचते हैं और अन्य सेवाएं प्रदान करते हैं । यह ऐसा क्षेत्र है, जिसमें एक नहीं बल्कि अनेक प्रकार के रोजगार उपलब्ध हैं । इस क्षेत्र में पुरुष और महिलाएं कम्प्यूटर, मशीन उपकरण, कार्यालय उपस्कर, प्रिन्ट स्पेस, कागज उपभोक्ताओं की वस्तु एवं सेवाओं आदि का विक्रय करते हैं । उत्पाद और सेवाएं जितनी अधिक तकनीकी अथवा वैज्ञानिक दृष्टि से जटिल होती हैं उनकी बिक्री हेतु विक्रय प्रक्रिया भी उतनी ही लम्बी और जटिल होती है । जटिल प्रकार से उत्पादों की बिक्री हेतु विक्रयकर्ता को विशेष प्रकार का प्रशिक्षण अथवा उनके अपने क्षेत्रों में विशेष योग्यता होनी चाहिये जैसे ऐसे चिकित्सा प्रतिनिधि, जो दवाईयां बेचते हैं, उनके पास औषधि-विज्ञान अथवा चिकित्सा विज्ञान में उपाधि होना अपेक्षित है ।

विक्रयकर्ता को उपभोक्ताओं (ग्राहकों) के साथ अच्छे कार्य सम्पर्क बनाने पड़ते हैं । इस व्यवसाय में व्यक्तिगत गुणों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है । आत्म-विश्वास, दृढ़ता एवं पहल-शक्ति का होना अति आवश्यक है । उसे सदैव नए लोगों से मिलने को तत्पर रहना चाहिये तथा स्वयं को सभी प्रकार के व्यक्तियों से मिलने के लिए तैयार रखना चाहिए । बिक्री के लिए शारीरिक और मानसिक शक्ति अपेक्षित है । जो सफलता प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें ग्राहकों की अपेक्षाओं के प्रति जागरूक होना चाहिए । इस व्यवसाय में उपयुक्त पहनावा और स्वयं को अच्छे ढंग से अभिव्यक्त करना भी मुख्य गुण माने जाते हैं ।

महिलाएं, सामान्यतः काउन्टर-बिक्रीकर्ता, घर-घर प्रचारक, प्रदर्शक, बीमा एजेन्ट, बाजार सर्वेक्षक आदि के कार्य को वरीयता देती है । वे मुख्यतः विभागीय भंडार गृहों, राज्य सरकार इम्पोरियम, केन्द्रीय कुटीर उद्योग इम्पोरियम आदि में नियोजित की जाती है । प्रदर्शनी में स्थापित विभिन्न मण्डपों में नौकरियों के अच्छे अवसर उपलब्ध रहते है ।

विक्रय नौकरियों अधिकतर कमीशन अथवा कमीशन एवं वैतनिक आधार पर होती है । इस क्षेत्र में मिलनसार स्वभाव एवं अच्छे व्यक्तित्व वाले स्नातक नौकरी के उपयुक्त अवसर प्राप्त कर सकते हैं । तथापि

जो इंजीनियरिंग की वस्तुएं अथवा दवाईयों आदि का कार्य करता है, उन्हें अपने-अपने क्षेत्रों में कार्यकुशलता प्राप्त करनी होती है । दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि कालेजों में पूर्व-स्नातक स्तर पर फुटकर व्यापार के क्षेत्र में भी दक्षता प्राप्त की जा सकती है । भारतीय विद्या भवन, आई०एम०सी०ए०/वाई० डब्ल्यू० सी०ए० एवं कुछ अन्य संस्थान भी विपणन और विक्रीकारी में पाठ्यक्रमों के सांध्यकालीन कक्षाएँ आयोजित करते हैं। एम० बी० ए० में विपणन के क्षेत्र में भी दक्षता प्राप्त की जा सकती है ।

5. (क) बीमा एजेन्ट

जो बीमा एजेन्ट के कार्य का चुनाव करते हैं, उनका अधिक शिक्षित होना अनिवार्य नहीं है, यद्यपि उच्च शिक्षा सफलता के अच्छे अवसर प्राप्त करने में सहायक हो सकती है। बीमा दो प्रकार का होता है—जीवन और सामान्य (आग दुर्घटना एवं चोरी आदि) । मोटे रूप में बीमा का सिद्धान्त यह है कि बीमा करवाने वाले व्यक्ति को एक निश्चित अवधि के लिए नियमित समय पर बीमा संगठन को एक निश्चित धन राशि का भुगतान करना होता है, जिसे प्रीमियम कहा जाता है । बीमा किए गए व्यक्ति अथवा संपत्ति की सुरक्षा उसी समय से की जाती है, जब तक प्रथम प्रीमियम का भुगतान करता है । इस में से अधिकांश सेवा निवृत्ति के उपरांत कुछ आय को सुनिश्चित करने की दृष्टि से अथवा दुर्घटना, आग अथवा चोरी की संभावनाओं के कारण बीमा करवाते हैं । बीमा एजेंट से यह अपेक्षा की जाती है कि वे यथास्थिति पालिसी धारकों अथवा उनके आश्रितों को आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद प्रतिपूर्ति का भुगतान प्राप्त करने में मदद करें। बीमा एजेन्ट को विविध योजनाओं एवं उनकी प्रयोज्यता का ज्ञान होना चाहिए यह ऐसा क्षेत्र है, जो प्रत्येक वर्ष विस्तृत हो रहा है । यद्यपि, वह क्षेत्र कार्योमुखी व्यवसाय है, फिर भी महिलाएं घर पर रहते हुए भी यह कार्य कर सकती हैं । वह ग्राहकों को अपनी सुविधानुसार उनके कार्यालयों अथवा घरों पर सम्पर्क कर सकती हैं । वह पूर्ण कालिक व्यवसाय नहीं है किन्तु संपर्क का होना अत्यन्त महत्व रखता है । जिनके अपने अच्छे सामाजिक सम्पर्क है, वे पर्याप्त ग्राहक बना सकते हैं ।

6. मीडिया व्यवसाय

पत्रकारिता, सचार-व्यवसाय का एक अत्यत महत्वपूर्ण साधन है । इसमें समाचारपत्रों पाक्षिकों एवं पत्रिकाओं का संपादन एवं प्रारूपण करना सम्मिलित है । मोटे तौर पर इसे चार मुख्य भागों में बांटा जा सकता है—1. समाचार पत्र, 2. पत्रिकाएं और समीक्षाएं, 3. व्यापार व्यावसायिक पत्रिकाएं; एवं 4. पत्रिका सार संग्रह ।

जो व्यक्ति किसी समाचार पत्र, पत्रिका, विज्ञापन एजेंसी, प्रसारण स्टेशन अथवा सरकारी प्रचार संगठन में एक पत्रकार के रूप में नौकरी करने का इच्छुक हो, उसे सम्बद्ध भाषा की अच्छी पकड़ एवं विस्तृत शब्दावली का ज्ञान होना चाहिए । शिक्षित भारतीय महिलाओं के लिए यह व्यवसाय एक आदर्श व्यवसाय है । अगर आवश्यक हो, तो घर पर रहते हुए भी अंशकालीन आधार पर इस कार्य को किया जा सकता है । तथापि, पत्रकारिता में महिलाओं की संख्या श्रम शक्ति के 5% से भी कम है । महानगरों में यह 10 प्रतिशत तक है ।

समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पाक्षिक आदि पत्रकारों के विविध संवर्गों में नौकरियों के पर्याप्त अवसर प्रदान करते हैं मुख्य पद इस प्रकार है:— रिपोर्टर, समाचार-वाधक, उप-संपादक, मेकअप उप-संपादक, कथामुख लेखक, वितरणकार, व्यंग्य चित्रकार एवं कलाकार, विज्ञापन लेखक, स्वतंत्र पत्रकार एवं संवाददाता है ।

प्रेस रिपोर्टर को पृष्ठ भूमि का अध्ययन करना, तथ्यों और अनुक्रमों का विश्लेषण करना और कहानियां लिखना होता है, जो पाठकों के लिए पठनीय सामग्री हो । सामग्री जन हित की ओर तथ्यात्मक होनी चाहिए । वह संक्षिप्त तथा प्रासंगिक होनी चाहिए । यह व्यवसाय उनके लिए उपयुक्त नहीं है, जो केवल डेस्क कार्य करना चाहती है, अथवा सम्भवत: संकोची होती है । जो विविध जीवन क्षेत्रों के लोगों से मिलने की रूचि रखती हो, समारोह में भाग लेते हो तथा अतिरिक्त घण्टों में कार्य करने के इच्छुक हो, इस व्यवसाय में प्रगति कर सकते हैं । एक अच्छा प्रेस रिपोर्टर वह होता है जो प्रामाणिक विवरण प्रस्तुत करता है तथा किसी दबाव में कार्य नहीं करता । रिपोर्टिग में बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें कोई भी दक्षता प्राप्त कर सकता है, वह क्षेत्र इस प्रकार हैं

जैसे—खेल, सिनेमा, सांस्कृतिक कार्य, राजनीतिक विकास, कला आदि। महिला रिपोर्टर सामान्यतः ऐसी पत्रिकाओं/पाक्षिकों में कार्य करना पसंद करती है जो महिलाओं और बच्चों के लिए होती है और जिनमें सामाजिक घटनाओं और सांस्कृतिक की जानकारी दी जाती है।

जो डेस्क कार्य को वरीयता देते हैं, वे उप/संपादक का कार्य ग्रहण कर सकती है, उप संपादक/रिपोर्टरों से प्राप्त की गई विस्तृत जानकारी का चयन करते हैं, उपयुक्त प्रकार से जाँच करते हैं और उन्हें व्यवस्थित रूप प्रदान करते हैं। उनके कार्यों में वे कार्य सम्मिलित हैं जैसे—मुख्य-मुख्य समाचारों का चुनाव और कहानियों/सामग्री को स्थानानुसार आकार देना एवं उन संदेहास्पद कथनों का सत्यापन करना। व्यक्ति को सख्त निर्देशों के अनुसार कार्य करना पड़ता है। इसमें विशेषकर समाचार पत्रों में महिला पत्रकार, पत्रिकाओं और पाक्षिकों के संपादकीय कार्यों अथवा समाचार पत्रों के रविवारीय अतिरिक्त अंक के संपादकीय कार्य को वरीयता देती है।

ऐसी असंख्य शिक्षित, प्रतिभाशाली एवं सक्रिय महिलाएं हैं, जो किसी एक अथवा अन्य कारणों से कोई नियमित नौकरी पाने में असमर्थ है। यहां तक कि अंशकालीन कार्य भी उनमें से कुछ के लिए विविध कारणों के कारण उपयुक्त नहीं होता है। स्वतंत्र पत्रकारिता इसका अच्छा समाधान है। जो अपना व्यवसाय एक स्वतंत्र पत्रकार के रूप में आरम्भ करना चाहती है, उन्हें अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान, एक पैनी दृष्टि सीखने की चाह होनी चाहिए एवं आकस्मिक निराशा के क्षणों में धैर्यशील होना चाहिए। पूर्व योजना आवश्यक है तथा समय भी एक मुख्य कारक है क्योंकि इस व्यवसाय में अन्य बहुत से व्यक्ति प्रतिस्पर्धा में होते हैं।

यद्यपि पत्रकारिता में व्यवसाय के लिए संस्थान द्वारा प्रशिक्षण अनिवार्य नहीं है, परन्तु व्यवसाय में सफलता प्राप्त करने में यह अत्यंत सहायक होता है। पच्चीस विश्वविद्यालयों द्वारा पत्रकारिता और जन संपर्क में प्रमाण-पत्र, डिप्लोमा एवं उपाधि स्तर के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाया जाता है। कुछ विश्वविद्यालय जैसे—मैसूर, उस्मानिया, कलकत्ता और केरल में पत्रकारिता में स्नातकोत्तर उपाधि का भी प्रावधान है। बंगलौर विश्वविद्यालय में बी०एस०सी० (संचार) एवं एम०एस०सी०

(संचार) पाठ्यक्रम पढ़ाये जाते हैं । पंजाब कृषि विश्वविद्यालय में विज्ञान स्नातकों के लिए कृषि पत्रकारिता में दो वर्ष का पाठ्यक्रम भी उपलब्ध है । भारतीय जनसंपर्क संस्थान, नई दिल्ली, अगस्त 1965, में स्थापित किया गया, जो पत्रकारिता में प्रशिक्षण देने वाले प्रमुख संस्थानों में से एक है । इस संस्थान में पत्रकारिता, विज्ञापन और जनसंपर्क में नौ मास का स्नातकोत्तर/डिप्लोमा पाठ्यक्रम तथा नई ऐजन्सियों के व्यक्तियों हेतु "न्यूज ऐजन्सी सर्विस" में पांच माह का डिप्लोमा पाठ्यक्रम उपलब्ध है । इस संस्थान द्वारा व्यावसायिक पत्रकारों हेतु विविध अल्पकालीन मिलिया पाठ्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है । जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के जामिया जनसंपर्क शोध केन्द्र, नई दिल्ली में स्नातकों के लिए 2 वर्ष की अवधि का जनसंपर्क में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम उपलब्ध है । भारतीय विद्या भवन भी देश के विविध प्रमुख शहरों में स्थित अपने संस्थानों द्वारा जनसंपर्क में पाठ्यक्रमों को चलाता है । सामान्यतः स्नातकोत्तर/ डिप्लोमा पाठ्यक्रम की अवधि एक वर्ष की होती है तथा कक्षाएं सायं-कालीन में होती हैं ।

संस्थान गत प्रशिक्षण के अलावा व्यक्ति में इस व्यवसाय के प्रति अभिरूचि एवं क्षमता होनी आवश्यक है । पत्रकारिता में अनुभूति की क्षमा, मुख्य घटनाओं और विषयों को लेकर समझना और इनकी मानवीय हित से जुड़ी या अद्भूत और असामान्य रूचि को विशेष मुख्य घटनाओं की रिपोर्ट करना आदि अपेक्षित हैं । इस अभिरूचि में लोगों का हित जिज्ञासु प्रवृत्ति तथा घटनाक्रम में "कौन, क्या, कब, कहां, कैसे और क्यों" को ढूंढ निकालना तथा उस निर्धारित तारीख को ध्यान में रखते हुए घटना क्रम को एक बढ़िया रोचक कहानी में रूपांतरित करने की क्षमता का होना भी शामिल है । समाचार पत्र का कार्य प्रायः सृजनात्मक लेखन को भी आगे बढ़ाता है ।

इस व्यवसाय में व्यक्तिगत गुण अधिक महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि उच्च स्तरीय पदों पर व्यक्ति में विभिन्न गुणों का मिश्रण का होना आवश्यक है, उसमें न केवल अभिव्यक्ति की क्षमता अपितु अवलोकन एवं सार्वभौमिक ज्ञान, मानवीय संबंधों हेतु प्रतिभा तथा लिखित सामग्री के उन परिणामों को स्वीकार करने का साहस अपेक्षित है, जिसका प्रभाव तलवार से भी अधिक होता है । पत्रकार केवल समाचार-पत्रों द्वारा ही नियोजित नहीं किये जाते, अपितु प्रेस काउंसिल, प्रेस सूचना

ब्यूरों, चार समाचार ऐजेंसियों (प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूनाइटेड न्यूज आफ इण्डिया, समाचार भारती, एवं हिन्दुस्तान समाचार), भारतीय समाचार पत्र रजिस्ट्रार प्रकाशन विभाग, फिल्म डिवीजन तथा विज्ञापन एवं दृश्य प्रसार निदेशालय आदि द्वारा भी नियोजित किये जाते हैं ।

आकाशवाणी एवं दूरदर्शन भी महिलाओं को लेखक, सेट डिजाइनर, शोधकर्ता, विशेष प्रभाव विशेषज्ञ (स्पेशल इफैक्टस एक्सपर्ट) फोटोग्राफर आदि के रूप में नौकरी करने के अच्छे अवसर प्रदान करते हैं । ये संगठन सरकारी विभाग होते हैं इसलिए महिलाएं सामान्यतः इसमें कार्य करने को वरीयता देती है । ऑल इण्डिया रेडियो चार पाक्षिक प्रोग्राम जर्नल निकालता है । वहीं से अंग्रेजी में एक मासिक जर्नल "इण्डिया कालिंग" भी निकलती है । ऑल इण्डिया रेडियो एवं दूरदर्शन के निम्न स्तरीय पदों को रोजगार कार्यालयों अथवा कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से भरा जाता है । सामान्यतः उद्घोषकों की रिक्तियों सम्बद्ध केन्द्र द्वारा भरी जाती हैं और प्रेषण प्रबंधकों की भर्ती कर्मचारी चयन आयोग द्वारा की जाती है । ग्रुप 'ए' व 'बी' के राजपत्रित अधिकारियों सहित उच्च स्तर के पदों में अखिल भारतीय स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित केन्द्रीय सूचना सेवा परीक्षा द्वारा नियुक्ति की जाती है । इनमें सामान्यतः कार्यक्रम कार्यपालक सहायक केन्द्र निदेशक एवं केन्द्र निदेशक आदि पद होते हैं ।

उद्घोषिका एवं समाचार वाचिका के रूप में अंशकालीन का कार्य, गृहणियों और महिला विद्यार्थियों में अधिक लोकप्रिय है । एक उद्घोषिका बनने के लिए इसकी आवाज आसानी से सुनी जा सकने वाली श्रव्य एवं एकदम साफ होनी चाहिए । सही उच्चारण तथा सामयिक विषयों का अच्छा ज्ञान होना आवश्यक है । जो दूरदर्शन में जाना चाहते हैं, उनका व्यक्तित्व आकर्षक होना चाहिए । व्यवसाय प्राप्त करने से पहले इसमें श्रवण परीक्षा पास करनी होती है । इसमें उद्घोषिकाएं केवल अंग्रेजी और हिन्दी भाषा में ही नहीं, अपितु क्षेत्रीय और विदेशी भाषा में भी होती है जो विदेशी भाषा का चुनाव करते हैं, वे निदेशक, विदेश सेवा, आल इण्डिया रेडियो से सम्पर्क कर सकते हैं । आल इण्डिया रेडियो कार्यक्रमों में 17 भाषाएं शामिल हैं । विमान सेवाओं द्वारा हवाई अड्डों पर वायुयान के आगमन एवं प्रस्थान की घोषणा करने के लिए भी उद्घोषिकाएं नियोजित की जाती हैं ।

भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के बावजूद भी प्रकाशनों की संख्या में वृद्धि हो रही है । भारतीय समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार के पास पंजीकृत समाचार पत्रों की संख्या लगभग 23,600 थी जबकि 1983 में वह 20,700 थी । वर्ष 1986-87 में अखबारी कागज की मांग 5,32,000 टन बढ़ गई जो कि वर्ष 1984-85 में 4,55,000 टन थी। रेडियो स्टेशनों की संख्या 1985 से 88 में बढ़कर वर्ष 1987 में 94 हो गई । इस वृद्धि से यह पता चलता है कि भविष्य में पत्रकारों की अच्छी मांग रहेगी । सातवीं पंचवर्षीय योजना के लागू होने पर दूरदर्शन ट्रांसमीटरों की संख्या भी वर्तमान में 217 से बढ़कर 392 हो जाएगी ।

6. (क) जन-संपर्क

जनसंपर्क में रोजगार चुनौतीपूर्ण होते हुए भी महिलाओं द्वारा पसन्द किया जाता है । जनसंपर्क, विज्ञापन व्यवसाय का पूरक होता है । जहां विज्ञापन एक विशेष उत्पाद अथवा सेवा के सक्रिय प्रचार के लिए सस्ता एवं प्रभावी ढंग से प्रचार करता है, वहीं जनसंपर्क अपेक्षाकृत धीमी और प्रछन्न गतिविधि है । एक जनसंपर्क अधिकारी का कार्य ठीक उस वकील की भाँति है जो मामले को अपने मुवक्किल के सर्वोच्च हित में प्रस्तुत करता है ।

जन संपर्क में जन-प्रचार के माध्यम से विशेष दर्शकों/श्रोताओं तक पहुंचने में एक विशेष प्रकार के ज्ञान और कौशल की आवश्यकता होती है । इसमें प्रेस, टी०वी० और रेडियो आदि के संचालन और इसकी व्यवस्था के लिए विस्तृत सूक्ष्म ज्ञान भी अपेक्षित है । इस रोजगार में मुद्रण, फोटोग्राफी, फिल्म और प्रदर्शन कार्य आदि कार्यों की तकनीकी जानकारी होना भी आवश्यक है । इस क्षेत्र में व्यक्तिगत गुणों की प्रमुख जरूरत होती है । एक अच्छे जनसंपर्क अधिकारी को कम से कम अपने क्षेत्र की अच्छी जानकारी होनी चाहिए । उसका व्यक्तित्व आकर्षक, व्यवहार अच्छा होना चाहिए । सदाचार का पूर्णतया पालन करना चाहिए । मिलन-सार स्वभाव, चुस्ती एवं चातुर्य इस व्यवसाय के लिए अत्यंत उपयोगी है । ईमानदारी और संगठनात्मक क्षमता का होना महत्वपूर्ण है । इस व्यवसाय में जन-प्रचार से जुड़े हुए लोगों के साथ अच्छे सम्बन्ध बनाए रखना अनिवार्य है ।

कोई भी सार्वजनिक अथवा निजी संगठन, जनसंपर्क अधिकारी के सक्रिय सहयोग के बिना प्रभावकारी ढंग से कार्य नहीं कर सकता है। निजी व्यवसाय में, संगठन और संबद्ध विशेष विभाग के बीच में संपर्क के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये सरकार और संगठन के समय एक कड़ी का कार्य करते हैं। सरकार के चोरी के नीति निर्धारिकों के साथ इन्हें अच्छे संपर्क बनाने होते हैं। एक निजी संगठन में वह अपना रोजगार एक संपर्क अधिकारी के रूप में भी शुरू कर सकती है। संपर्क अधिकारी को लाइसेंस कोटा, बिलों के एकत्रीकरण, नये आर्डर लेने आदि बहुत से अन्य इसी प्रकार के कार्य करने के लिए पूरी दौड-धूप करनी पड़ती है। इस प्रक्रिया में से संगठन के प्रमुख व्यक्ति के रूप में हो जाते है।

एक जनसंपर्क अधिकारी, किसी फैक्ट्री में प्रबन्धकों एवं श्रमिकों के बीच की कड़ी भी होता है। अतः उसे दोनों पक्षों के हित की रक्षा करनी होती है। जनसंपर्क अधिकारी मामलों को निपटाने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। एक अच्छा जनसंपर्क अधिकारी को प्रबन्धकों के साथ अक्सर बैठकें आदि आयोजित करनी चाहिए। जनसंपर्क अधिकारी पर कई प्रकार की प्रकाशित सामग्री, जैसे—वार्षिक रिपोर्ट, भर्ती सम्बन्धी जानकारी, घरेलू पत्रिकाएं एवं जर्नल, प्रवर्तन संबंधी अथवा वैज्ञानिक फिल्में एवं दृश्य सामग्री आदि की योजना बनाने और तैयार करने का भी दायित्व होता है। वह सम्मेलन भी आयोजित करती है जिसमें प्रेस कान्फ्रेंस भी शामिल है।

निजी क्षेत्र एवं फिल्मों के अतिरिक्त विविध सरकारी विभागों एवं सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में जनसंपर्क अधिकारी नियोजित किये जाते हैं। सभी राज्य सरकारों के प्रतिष्ठित जनसंपर्क निदेशालय होते हैं। उन पर राज्यों में हुए विकास कार्यक्रमों और प्रगति की जानकारी लोगों तक पहूंचाने का दायित्व होता है। वे विविध परियोजनाओं और विकास योजनाओं पर पम्फलेट भी निकालते हैं। वे समय-समय पर देश के प्रमुख समाचार पत्रों में ऐसे अतिरिक्त कोड पत्रों को भी देते रहते हैं। राजधानी में सभी राज्यों के लिए विशेष सूचना केन्द्र भी होते हैं जो राज्यों के जनसंपर्क निदेशकों द्वारा संचालित किए जाते हैं। वे जनसंपर्क निदेशकों के माध्यम से राज्य विकास पर विस्तृत जानकारी का प्रबन्ध

करते हैं । अधिकांश केन्द्रीय मंत्रालय, सूचना अधिकारियों की भर्ती करते हैं जो सम्बद्ध मंत्रालयों की प्रमुख गतिविधियों को प्रकाश में लाते हैं । रक्षा मंत्रालय से सम्बद्ध जनसंपर्क निदेशक रक्षा की तीनों सेनाओं की मुख्य गतिविधियों को प्रकाश में लाने वाला एक पूर्ण विभाग का संचालन करता है । इसी प्रकार परिवार नियोजन कार्यक्रमों का भी दृश्य एवं प्रचार निदेशालय के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाता है । सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय अपने विविध विभागों जैसे दृश्य एवं श्रव्य प्रचार निदेशालय, प्रकाशन विभाग, प्रेस सूचना ब्यूरो आदि के माध्यम से (रेलवे मंत्रालय के अतिरिक्त) विभिन्न मंत्रालयों के जनसंपर्क कार्यों को पूरा करता है । दृश्य एवं श्रव्य निदेशालय महत्वपूर्ण संदेश देने वाले बड़े पोस्टर और साइन बोर्ड जारी करता है जो रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डों, चौराहों और अन्य मुख्य सार्वजनिक स्थलों पर लगाए जाते हैं । दृश्य एवं श्रव्य प्रचार निदेशालय द्वारा सार्वजनिक हित के मुख्य विकास एवं सूचना के प्रचार के लिए रेडियो एवं टी० वी० सहित विविध प्रकार के प्रचार माध्यमों का प्रयोग भी किया जाता है । इण्डियन एयर लाइंस, भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय पोत निगम एवं अन्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में भी एक या अन्य नाम से जनसंपर्क कार्मिकों को नियोजित किया जाता है ।

जनसंपर्क में रोजगार के इच्छुक व्यक्तियों के लिए पत्रकारिता और विज्ञापन व्यवसाय के बारे में अच्छा ज्ञान होना चाहिए । इस क्षेत्र में केवल अनुभवी व्यक्तियों को ही सफलता प्राप्त होती है । जनसंपर्क अधिकारी की मांग धीरे-धीरे बढ़ रही है किन्तु मांग में वृद्धि होने के साथ ही व्यावसायीकरण पर भी अधिक बल दिया जा रहा है ।

6 (ख) विज्ञापन व्यवसाय

आज हम, समाचार पत्रों, पत्र-पत्रिकाओं, पाक्षिकों, होर्डिंग सिनेमा स्लाइड आदि में विज्ञापन देखते हैं । यहां तक कि जब रेडियो/दूरदर्शन पर हम कोई कार्यक्रम देख रहे होते हैं, तो भी हमारा ध्यान अनेकों विज्ञापनों की ओर आकर्षित होता है । कभी-कभी तो वे इतने दिलचस्प होते हैं कि दर्शक मुख्य कार्यक्रमों की अपेक्षा उन्हें वरीयता देते हैं । हमारे जीवन में विज्ञापनों का एक निश्चित स्थान है । इसलिए उपभोक्ता

वस्तुओं के निर्माता, विज्ञापन के माध्यम से अपने उत्पादों के बारे में जागरूकता पैदा करने पर विशेष ध्यान देते हैं । उत्पाद वस्तुओं के बाजार में आने पर उसके विज्ञापन के स्तर एवं स्वरूप में परिवर्तन देखा जा सकता है । विज्ञापन वस्तुओं के बारे में मौलिक जानकारी देती है तथा उपभोक्ताओं को उसे उपयोग करने के लिए उत्साहित करते है। एक बार उत्पाद को प्रतिष्ठा मिल जाने पर, एक नव प्रतियोगिता के सूत्र में परिवर्तन किया जा सकता है । और जनसाधारण के समक्ष एक विशेष स्थान बनाया जाता है । विज्ञापन में प्रत्येक ऐसे माध्यम का प्रयोग किया जाता है जिससे संप्रेषित किया जा सके—जैसे समाचार पत्र, जर्नल, पत्रिकाएं, दूरदर्शन और रेडियो, पोस्टर, संवेष्टन (पैकेजिंग), सिनेमा, प्रदर्शनी एवं सीधे डाक से भेजकर आदि । अतः हम देखते हैं कि विज्ञापन के तीन उद्देश्य हैं—आकर्षित करना, जानकारी देना और राजी करना ।

ये विज्ञापन देश भर में फैली विज्ञापन एजेन्सियों द्वारा तैयार किए जाते हैं । विज्ञापन एजेन्सियों की संख्या 1945 में 45 थी जो अब वर्ष 1985 में 336 तक बढ़ गई है । इसी अवधि के दौरान विज्ञापन से होने वाली आय भी 5 करोड़ से 580 करोड़ तक बढ़ गई है । यह दिलचस्प बात है कि विज्ञापन से होने वाली आय का 30% भाव दस उच्च विज्ञापन एजेन्सियों को जाता है ।

विज्ञापन एजेन्सी, विज्ञापन कार्य शुरू करने से पूव प्रस्ताविक उत्पाद/सेवा के संबंध में विद्यमान और संभावित खरीददारों तथा बाजार में उपलब्ध प्रतियोगी उत्पादों के बारे में जानकारी हासिल करने का प्रयत्न करती है । सूचना को एकत्र करने के लिए कभी-कभी इन्हें कुछ बाजार शोध संगठनों की सहायता लेनी पड़ जाती है । बाजार शोध विपणन नीतियों को आधार प्रदान करता है, जिसमें मुख्यतः सांख्यिकी आंकडों को प्राप्त करना, एकत्र करना और उनका विश्लेषण करना आदि सम्मिलित हैं । विज्ञापन फिल्म की संकल्पना किसी कल्पनाशील व्यक्ति द्वारा की जाती है । हालांकि विज्ञापन लेखक द्वारा कागज पर इसे आकार दिया जाता है । ग्राहकों और एजेन्सी के विशेषज्ञों की टीम द्वारा इसे अंतिम रूप दिया जाता है । केवल ग्राहकों की अनुमति के परांत ही फिल्म पर काम शुरू किया जाता है ।

तथ्यात्मक रूप में विज्ञापन उपभोक्ताओं पर ही सौंपा जाता है । हम पाक्षिकों, पत्रिकाओं को विज्ञापन देखने के लिए नहीं खरीदते और न ही कोई एक विशेष विज्ञापन देखने के लिए रेडियो/दूरदर्शन के कार्यक्रम सुनते/देखते हैं । अतः टीम में प्रत्येक व्यक्ति को यह सुनिश्चित करना होता है कि विज्ञापन देखने वालों के लिए आकर्षक एवं दिलचस्प हो। अतः प्रत्येक फिल्म में कुछ न कुछ नया होना चाहिए । अच्छे विज्ञापन पाठकों, श्रोताओं और दर्शकों को संतुष्ट करते हैं । सुगत शब्दों में और स्पष्ट शैली में लिखे गए विज्ञापन उपभोक्ता को संतुष्ट करने के लिए सबसे उपयुक्त होते हैं, क्योंकि वह उसी भाषा में होते हैं, जिसे वह समझता है । यह देखा गया है कि दूरदर्शन और फिल्मों में एक छोटासा विज्ञापन भी दर्शकों पर स्थायी प्रभाव डालता है । युवा पीढ़ी के लिए विज्ञापन एक प्रचलित व्यवसाय है । इसमें अच्छी आय हो सकती है, और वह एक कठिन परिश्रम वाला व्यवसाय भी है । इस व्यवसाय में विविध कार्य निहित हैं ।

बड़ी विज्ञापन एजेन्सियों में विभिन्न विभाग होते हैं जैसे—लेखा प्रबन्ध, विज्ञापन लेखन, कला स्टुडियो, प्रचार माध्यम, बाजार शोध और उत्पादन आदि । कला विभाग ग्राहकों को उस विज्ञापन की उपयुक्तता का सुझाव देता है जिसके द्वारा विज्ञापन जारी किया जाएगा । उत्पादन विभाग यह सुनिश्चित करता है कि मुद्रक के लिये समय पर ब्लाक और कापी तैयार है । यह विभाग दूरदर्शन विज्ञापनों के लिए उपयुक्त चेहरों की खोज में भी सहायता करता है । अब मॉडलिंग, विज्ञापन संसार के साथ अभिन्न रूप में जुड़ी हुई है । यह एक सीमा तक तात्क्षणिक अभिन्य है । यह सुन्दर लड़कियों में अत्यंत लोकप्रिय है । सामान्यतः मॉडलिंग बम्बई, दिल्ली और कलकत्ता जैसे शहरों तक ही सीमित है, जहां कारोबार और उद्योग प्रगति कर रहे हैं । वह एक बहुत अनिश्चित व्यवसाय है क्योंकि इसमें प्रतिष्ठित होने में काफी समय लगता है तथा जब मॉडल अपनी चरम सीमा पर पहुँचता है तभी उसे पता चलता है कि वह अपनी कशश और रंग खो चुके हैं । उम्र एक ऐसी वस्तु है, जो बहुत से मॉडलों को कार्य क्षेत्र से बाहर कर देती है । सामान्यतः कार्यकाल घटता जाता है और अधिक से अधिक पांच वर्षों के भीतर ही सब समाप्त हो जाता है । मॉडलिंग काफी हद तक फोटोग्राफर की कला है । इसके लिए अच्छे नैन नक्श का होना अनिवार्य है । यद्यपि मेकअप

और प्रकाश व्यवस्था प्रस्तुतीकरण में सहायक होते हैं फिर भी फैशनेबल परिधान के प्रदर्शन के लिए अच्छा कद और छरहरा बदन का होना जरूरी है । उत्तेजनात्मक मॉडल एक सत्र के लिये 3 से 5 हजार रु० तक लेते हैं । कुछ यह व्यवसाय फिल्मों में जाने के लिए भी प्रारम्भ करते हैं । कुछ अपने क्षेत्र की जानी-मानी हस्तियां भी मॉडलिंग के व्यवसाय में आ जाती हैं ।

दूरदर्शन एक विज्ञापन माध्यम के रूप में आ चुका है । इसका प्रसार अतुलनीय है । आज देश भर में 227 ट्रांसमीटर हैं जो भौगोलिक दृष्टि में देश के 75% भाग में फैले हैं । दूरदर्शन की व्यावसायिक सेवा जनवरी 1970 में आरम्भ की गई । प्रायोजित कार्यक्रमों की योजना 1983 में आरम्भ की गई, जिसमें विविध संगठनों और व्यापारिक घरानों द्वारा उनके द्वारा बनाए गए कार्यक्रमों अथवा उनके द्वारा लिए गए अथवा दूरदर्शन द्वारा बनाए गए कार्यक्रमों को प्रायोजित करते हैं ।

विज्ञापन के क्षेत्र में अधिकतर विज्ञापन एजेन्सियों, निजी व्यापारिक घरानों और दृश्य एवं श्रव्य संचार निदेशालय में रोजगार के अच्छे अवसर होते हैं । इसमें विविध पद होते हैं जैसे मॉडल, विज्ञापन लेखक, समन्वय कर्ता, मूल-प्रति लेखक, फोटोग्राफर, अभिन्यास सहायक, कलाकार एवं उत्पादन समन्वयकर्ता । सामान्यत: विज्ञापन और जनसंपर्क सहित जनसंपर्क विषय में स्नातकों के लिए इस क्षेत्र में रोजगार के उपयुक्त अवसर होते हैं । उनके लिए भी रोजगार के अच्छे अवसर होते हैं जिनके पास वाणिज्यिकता (कर्मशियल आर्ट) में उपाधि अथवा डिप्लोमा होता है अथवा लेखाकारिता या व्यावसायिक प्रबन्ध के क्षेत्र में व्यावसायिक योग्यताएं प्राप्त होती हैं । भारत फिल्म और दूरदर्शन संस्थान पुणे, जेवियर जन-संपर्क संस्थान, बम्बई, सोफिया पॉलिटेक्नीक, बम्बई, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, अहमदाबाद भी उनके लिए विशेष प्रकार के पाठ्यक्रम चलाते हैं, जो विज्ञापन में रोजगार चाहते हैं । विज्ञापन एजेन्सी में भर्ती सामान्यत: संविदा द्वारा होती है । कभी-कभी पदों के विज्ञापन प्रमुख समाचार पत्रों में छपते हैं ।

7. फैशन डिजाइनर

फैशन डिजाइनर पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के परिधानों के मौलिक डिजाइन बनाते हैं । उसे नवीनतम प्रचलित फैशन की जानकारी

होनी चाहिए। उसे वस्त्रोद्योग विनिर्माताओं और विक्रेता प्रतिष्ठानों में नवीनतम वस्त्रों और उनके उपयोग तथा क्षमता के बारे में जानकारी प्राप्त करने हेतु कुछ समय के लिए अवश्य जाना चाहिए। उसे वस्त्रों, बुनाई, सिलाई गुणों और सामग्री की क्षमता के बारे में भी अवश्य जानकारी होनी चाहिए। वस्त्रों और उसकी क्षमताओं की अच्छी जानकारी एक डिजाइनकार के कार्य का आधार होती है। रंगों और डिजाइनों के बारे में जानकारी लेने हेतु कभी-कभी उसे संग्रहालय एवं कला दीर्घा आदि में भी जाना चाहिए। इस बात का पता लगाने के लिए कि लोग क्या पहनते हैं, उसे उन स्थानों पर अवश्य जाना चाहिए, जहां अधिक संख्या में लोग एकत्र होते हों, जैसे खेलकूद कार्यक्रम, व्यापारिक और व्यावसायिक बैठकें एवं सिनेमा हाल आदि। उसे फैशन संबंधी पत्रिकाएं भी पढ़नी चाहिएं जैसे फेमिनए, ईव्स वीकली आदि।

उसे विविध प्रकार के वस्त्रों का और वस्त्र के डिजाइन में प्रयुक्त तकनीक का चाहे छापे के द्वारा हो अथवा रंगाई या बुनाई द्वारा हो, अच्छा ज्ञान होना चाहिए। विशेष प्रकार के वस्त्र का डिजाइन उसके उपयोग से संबंधित होता है। हाल ही में बड़े पैमाने के वस्त्र उद्योगों ने स्वचालित यंत्रों एवं कम्प्यूटर एड्ड डिजाइनों का प्रयोग करना शुरू कर दिया है। जिसने उत्पादन की प्रक्रिया में डिजाइनकार को प्रत्यक्ष रूप से भागीदार बना दिया है। यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा कि एक थोक वस्त्र उद्योग की सफलता अथवा असफलता उसके डिजाइनकार की योग्यता पर निर्भर करती है, जो ऐसे वस्त्र बनाती है जो कि फैशन के अनुसार प्रचलन में हैं। वह जन-बाजार की अर्थव्यवस्था और मांग को ध्यान में रखते हुए डिजाइनों को चुनती है और तैयार करती हैं।

सभी बड़े शहरों में ऐसे असंख्य संस्थान हो गए हैं, जो परिधान डिजाइनकार के लिए पाठ्यक्रम चलाते हैं। वर्ष 1980 में बम्बई में एस०एन०डी०टी० विश्वविद्यालय के पी०वी० पॉलीटेक्नीक द्वारा महिलाओं के लिए परिधान-सज्जा और फैशन समन्वय विभाग शुरू किया गया। इसमें 40 सीटें हैं। इस डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु +2 उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त वाई० डब्ल्यू० सी० ए० भी फैशन डिजाइनिंग तथा परिधान-सज्जा में डिप्लोमा पाठ्यक्रम चलाता है और

दक्षिण दिल्ली महिला पॉलीटेक्नीक तथा अंतर्राष्ट्रीय महिला पॉलीटेक्नीक भी एक वर्ष का प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम तथा 2 वर्ष की अवधि का डिप्लोमा पाठ्यक्रम चलाते हैं । इस क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित संस्थान राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, इंदिरा गांधी स्टेडियम, आई०पी० इस्टेट, नई दिल्ली है । यह संस्थान वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वस्त्र उद्योग के प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया । यह महिलाओं एवं पुरुषों को फैशन में व्यवसाय एवं इससे संबंधित क्षेत्रों के लिए तैयार करता है । इसका संपर्क प्रतिष्ठित फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, अमेरिका से है । इस संस्थान ने जनवरी, 1987 में फैशन डिजाइनिंग में 4 महीने की अवधि का एक नया अल्पकालिक पाठ्यक्रम भी शुरू किया है । इस संस्थान द्वारा अभी हाल में शुरू कुछ पाठ्यक्रम इस प्रकार हैं :—

द्विवर्षीय फैशन डिजाइन डिप्लोमा

यह 1987 में शुरू किया गया तथा इसमें 25 सीटें हैं । प्रवेश परीक्षा दिल्ली, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में एक साथ आयोजित की जाती है । 50% अथवा इससे अधिक अंकों से कला उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवार, जो सृजनात्मक योग्यता रखते हों एवं जिनमें फैशन सम्बन्धी कला और डिजाइन की क्षमता हो, इस पाठ्यक्रम के लिए योग्य हैं । प्रवेश परीक्षा में फैशन और परिधान उद्योग सम्बन्धी वस्तुपूरक प्रश्न और कला सम्बन्धी प्रश्न शामिल होते हैं ।

परिधान क्रय-विक्रय एवं विपणन

यह द्विवर्षीय पाठ्यक्रम 1988 में आरम्भ किया गया । इसमें खरीदारी, क्रय-विक्रय, फुटकर व्यापार, फैशन समन्वय, विज्ञापन और प्रचार, डिजाइन, फैशन एवं रंग पूर्वानुमान तथा अन्तर्राष्ट्रीय विपणन आदि में पाठ्यक्रम सम्मिलित हैं । इस पाठ्यक्रम को क्षेत्रीय दौरों, फैशन प्रदर्शन संगठनों और फैशन प्रस्तुतीकरण द्वारा सुदृढ़ किया जाता है ।

यह पाठ्यक्रम उन स्नातकों के लिए है जिन्होंने कला, विज्ञान, वाणिज्य में कुल मिलाकर कम से कम 50% अंक प्राप्त किये हों, जिन उम्मीदवारों ने 10+2 के उपरांत वस्त्र प्रौद्योगिकी में तीन वर्ष की

अर्हता प्राप्त की हो, वस्त्र विनिर्माण या निर्यात सम्बन्धी संस्थान में 10+2 के बाद कम से कम तीन वर्ष का अनुभव प्राप्त किया हो, आवेदन कर सकते हैं । इसमें 30 सीटें हैं ।

वस्त्र विनिर्माण प्रौद्योगिकी

यह द्विवर्षीय पाठ्यक्रम 1988 में आरम्भ हुआ । इस कार्यक्रम में व्यापार संगठन, उद्योग और इंजीनियरिंग संकल्पनाएं एवं उत्पादन की तकनीक शामिल है । इसमें वस्त्र प्राप्त करने, उसके एसेम्बली लाइन पर काटने, सिलने, परिष्कृत करने और पैक करने की तकनीक शामिल है ।

वस्त्र उद्योग

यह पाठ्यक्रम इंजीनियरिंग उपाधि प्राप्त (मशीनरी/वस्त्र उद्योग) अथवा 50% न्यूनतम अंक प्राप्त विज्ञान स्नातकों के लिए है । इसमें वे लोग भी आवेदन कर सकते हैं, जिनके पास 10+2 के उपरांत कम से कम तीन वर्ष का वस्त्र प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा है और ऐसे व्यक्ति जिन्होंने मशीन आपरेटर, फोरमैन, सहायक उत्पादक प्रबंधक आदि के रूप में किसी वस्त्र विनिर्माण संस्थान में तीन वर्ष का अनुभव प्राप्त किया हो । इस पायठक्रम में 25 सीटें हैं ।

प्रवेश विज्ञापन राष्ट्रीय प्रेस में निकलते हैं तथा 10 रुपये के भुगतान पर फार्म प्राप्त किया जा सकता है । विद्यार्थियों के लिए छात्रावास की सुविधाएं भी हैं । यह संस्थान विद्यार्थियों को स्थानन सेवाएं भी प्रदान करता है । स्थानन सेवा के माध्यम से भी विद्यार्थियों को अंशकालीन एवं ग्रीष्मकालीन रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं ।

अंशकालीन पाठ्यक्रम जैसे फैशन कला का परिचय, सिलाई एवं नमूना तैयार करने का परिचय, फैशन समन्वयकर्ताओं हेतु फैशन कला वस्त्र विपणन के मौलिक सिद्धांत एवं फैशन सामान आदि पाठ्यक्रम भी इस संस्थान में उपलब्ध हैं । ये सायंकालीन पाठ्यक्रम हैं और फरवरी तथा मई माह के बीच चलाए जाते हैं ।

इस क्षेत्र में व्यावसायिक कुशलता प्राप्त कर लेने वाली अधिकांश महिलाएं वस्त्र विनिर्माण संस्थान में, निर्यात और फैशन हाउस में डिजाइनकार, फैशन समन्वयकर्ता, शैलीकार तथा नमुनाकार के रूप में उपयुक्त

रोजगार प्राप्त कर सकती हैं । उनमें से कुछ जिनके पास अच्छे साधन हैं, फिल्म संसार में रोजगार प्राप्त कर सकती हैं, जहां आय तो अधिक है किन्तु उसके साथ-साथ अनिश्चितता भी है । फिल्म क्षेत्र, असुरक्षित व्यवसाय है । समय में बदलाव होने के साथ-साथ पुरुष भी परिधानों के प्रति सजग हो रहे हैं । आज के किशोर अपने परिधानों के नये नमुनों और डिजाइनों के बारे में अधिक जागरूक देखे जा रह हैं । इससे फैशन डिजाइनकारों के लिए रोजगार के अच्छे अवसर बन गए हैं।

8. कला एवं शिल्प

बहुसंख्यक प्रतिभाशाली महिला कलाकार अपनी अभिव्यक्ति को मुखरित करने के लिए कला का अभ्यास करती हैं । उनमें से कुछ इसे शौक की तरह लेती हैं, जबकि कुछ इसे एक व्यवसाय के रूप में अपनाती है। जो कुशलता प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों, शैक्षिक संस्थान, निजी विज्ञापन एजेन्सियों, कला एवं शिल्प महाविद्यालयों, कला अकादमी तथा कला के विकास से सम्बन्धित अन्य संगठनों द्वारा नियोजित किया जाता है । आॅल इण्डिया रेडियो, टी० वी० तथा सिनेमा में भी रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं । कुछ, जो इस क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त कर लेने वालों को सम्बद्ध विषयों में अध्यापन कार्य के लिए भी नियोजित किया जा सकता है ।

कला में कुशलता प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उसका नियमित रूप से किसी संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त किया हो। इसे कोई अपने गुरुओं/उस्तादों से भी सीख सकता है । इस क्षेत्र में ऐसी बहुत सी जानी-मानी हस्तियां हैं, जिन्होंने किसी संस्था से कोई प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है । तथापि बहुत से संस्थान संगीत, नृत्य, वाणिज्यिक कला, मूर्तिकला एवं नाट्य आदि विषयों में प्रशिक्षण प्रदान करते है । नई दिल्ली के राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में नाट्य कला में तीन वर्ष का डिप्लोमा पाठ्यक्रम है । जिस व्यक्ति ने +2 परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो तथा कम से कम 10 प्रस्तुतियों में भाग लिया हो, वह ही प्रवेश ले सकता है । निर्धारित आयु सीमा 18-30 वर्ष है । पात्र उम्मीदवारों का एक विशेषज्ञ समिति द्वारा साक्षात्कार लिया जाता है, जो उम्मीदवारों की क्षमता एवं प्रतिभा की जांच करते हैं । अंत में, चुने हुए उम्मीदवारों को 450 रुपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति मिलती है । दूसरा महत्वपूर्ण संस्थान भारतीय फिल्म और

दूरदर्शन संस्थान पूणे में स्थित है । इसमें तीन वर्ष का पाठ्यक्रम चलचित्र, फोटोग्राफी, फिल्म संपादन एवं चलचित्रिकी में उनके लिए है, जो उच्चतर विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षा पास हो तथा फोटोग्राफी/फिल्म कला में डिप्लोमा प्राप्त हों । इसमें ध्वनि रिकार्डिंग एवं ध्वनि इंजीनियरिंग में 1½ वर्ष का पाठ्यक्रम है, जो विज्ञान स्नातकों अथवा इलेक्ट्रानिक्स या रेडियो इंजीनियरिंग डिप्लोमा धारियों के लिए है । इसमें एक वर्ष का फिल्म डिवीजन में डिप्लोमा पाठ्यक्रम भी है, जो चलचित्रिकी में डिप्लोमा धारकों के लिए है । इन सब संस्थानों के अतिरिक्त, ऐसी अनेक ललित कला और संगीत कला अकादमी भी है जो विविध पाठ्यक्रमों का संचालन करती है । राष्ट्रीय नृत्य विद्यालय, नई दिल्ली, श्री राम भारतीय कला केन्द्र, नई दिल्ली नृत्य में प्रशिक्षण प्रदान करते है, अहमदाबाद, जयपुर और दिल्ली में स्थित भारतीय विद्या भवन ललित कला में प्रशिक्षण प्रदान करता है । अनेक विश्वविद्यालयों में भी संगीत एवं नृत्य में प्रशिक्षण उपलब्ध है । इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए न्यूनतम स्तर निर्धारित किया जाता है ।

प्रतिभासम्पन्न महिला कलाकार, विशेषकर नाट्य के क्षेत्र में, जो आजकल काफी प्रसिद्ध होते जा रहे है, दूरदर्शन धारावाहिकों में अच्छा स्थान प्राप्त कर लेती है । लोकप्रिय व्यक्ति विज्ञापन एजेन्सियों में नियमित अथवा अनुबंध आधार पर रोजगार के उपयुक्त अवसर भी प्राप्त कर सकते है ।

9. विमान परिचारिका

विमान-परिचारिका विमान में यात्रियों की देखभाल करती है तथा उन्हें सूचना एवं सहायता प्रदान करती है । उसका मुख्य कार्य यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करना है । उसे प्रत्येक उड़ान से पूर्व अपने उड़ान सम्बन्धी कर्तव्यों का विविध पक्षों में संक्षिप्त सार-निर्देश मिलता है । उड़ान के दौरान वह सुरक्षा सम्बन्धी सूचनाएं देती है तथा यात्रियों को पठनीय सामग्री आदि प्रदान करती है । वह आहार/जलपान भी परोसती है । वह शिशुओं, रोगियों एवं अकेले सफर कर रहे बच्चों की भी देखभाल करती है । वह प्रथम उपचार में भी प्रशिक्षित होती है तथा आवश्यकता पड़ने पर यात्रियों को प्रथम उपचार भी प्रदान करती है । वह इस बात को भी सुनिश्चित करती है कि कोई अनाधिकृत व्यक्ति विमान में प्रवेश न करें ।

19–25 वर्ष की आयु सीमा का स्नातक + 2 उत्तीर्ण और होटल प्रबन्ध एवं खान-पान प्रबन्ध में तीन वर्षीय डिप्लोमा प्राप्त व्यक्ति इसके पात्र हैं । वह भारतीय पासपोर्ट की पात्र होनी चाहिए । इस पद के लिए कुछ शारीरिक अर्हताएं भी निर्धारित की गई हैं। कद न्यूनतम 154.5 से०मी०, भार 43.55 से 59 किलोग्राम (कद के अनुपात में) होना चाहिए । उसका व्यक्तित्व हंसमुख एवं प्रदर्शनीय होना चाहिए तथा स्वर माधुर्य एवं स्तर नियमन, अंग्रेजी में धारा प्रवाहिता तथा सामान्य नैन-दृष्टि (बिना चश्मे के) होना भी अनिवार्य है । उसका रंग साफ और दांत साफ होने चाहिए । वह अविवाहिता होनी चाहिए । प्रथम उपचार और विदेशी भाषा के ज्ञान को वरीयता दी जाती है । प्रशिक्षण समाप्ति के उपरांत इन्हें चिकित्सा सहायता और वार्षिक विमान यात्रा रियायती टिकट आदि के अतिरिक्त लगभग 2000 रुपये प्रतिमाह मिलते हैं। उन्हें विमान सेवा में कार्यग्रहण की तारीख से 3 वर्ष की अवधि तक के लिए एक बंध-पत्र भरना होता है ।

विमान परिचारिकाओं की रिक्तियों का विज्ञापन प्रमुख समाचार पत्रों में दिया जाता है । इसमें अनु०जाति/अनु० जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण भी होता है ।

10. होटल एवं खान-पान उद्योग

यह उद्योग विविध योग्यताओं वाले सभी स्तर के युवकों और युवतियों के लिए रोजगार के पर्याप्त अवसर प्रदान करता है । प्रबन्धन, खान-पान प्रबंध, पाकक्रिया, गृह व्यवस्था एवं स्वागत कार्यालय (फ्रन्ट ऑफिस) आदि किसी को भी, जो रुचिकर लगता हो, उस प्रकार के कार्य में रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं । तथापि, गृह व्यवस्था तथा स्वागत कार्यालय में नौकरी उन युवतियों को अधिक उपयुक्त प्रतीत होती है, जिनका स्वभाव आंतरिक सज्जा, अच्छे रख-रखाव का हो तथा जो जीवन के विविध पक्षों के महत्वपूर्ण व्यक्तियों के स्वागत करने और मिलने में दिलचस्पी रखती हों । स्वागत कार्यालय अतिथियों के स्वागत, अग्रिम आरक्षण करने और कक्षों के आवंटन के लिए उत्तरदायी होता है । वह सभी आहारों का विवरण रखने और अतिथियों को अन्य सेवाएं प्रदान करने एवं अंतिम लेखा तैयार करने के प्रति भी उत्तरदायी होता है। स्वागत-कक्ष को कक्षों का विस्तृत रिकार्ड रखना होता है तथा शेष कर्मचारियों को

अतिथियों के आगमन एवं प्रस्थान की सूचना देते रहना होता है। स्वागत कार्यालय (फ्रन्ट आफिस) को विविध विभागों जैसे कक्ष स्थिति के लिए गृह व्यवस्था सामूहिक भोज के लिए आहार एवं पेय, नकद, उधार एवं बिलों आदि के लिए वित्त विभागों के बीच समन्वय स्थापित करना होता है। स्वागत कर्मचारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे साफ सुथरे दिखें और मैत्रीभाव से मिलें, परन्तु उन्हें ग्राहकों को पहचानने में और उनका स्वागत करने में सुनिश्चितता बरतनी चाहिए। स्वागतकर्ता को शिष्ट, नम्र और चतुर होना चाहिए। गृह व्यवस्था विभाग होटल में अतिथि कक्षों, रेस्तरां एवं सार्वजनिक स्थानों की सफाई एवं सुविधा को सुनिश्चित करता है। गृह-व्यवस्थापक स्वागत कार्यालय (फ्रन्ट आफिस) एवं स्वागतकर्ता कर्मचारियों के साथ कार्य करता है। वे उन्हें कक्षों की उपलब्धता के बारे में सूचित करते रहते हैं। यह विभाग सबों का स्टॉक रखने तथा अतिथियों को सेवा प्रदान करने के लिए भी उत्तरदायी होता है। इनको कक्ष आपूर्ति, फर्नीचर मरम्मत तथा अतिथि कक्षों में उपलब्ध सभी विद्युतीय वस्तुओं के रख-रखाव सहित स्थान परिवर्तन आदि के लिए मांग पत्र जमा करना होता है।

होटल के सभी विभागों जैसे आहार एवं पेय आदि में भी महिलाएं नियोजित की जाती हैं। जो इस उद्योग में कार्य करना चाहता है उसे एक व्यवसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करना होता है। इस समय देश में 12 होटल प्रबन्धन, खान-पान एवं पोषण संस्थान हैं, जो तीन वर्ष का डिप्लोमा पाठ्यक्रम चलाते हैं। इस डिप्लोमा पाठ्यक्रम में 50% कुल अंक लेकर परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले व्यक्ति प्रवेश ले सकते हैं। इसमें चयन एक संयुक्त प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होता है, जो सामान्यतः मई में आयोजित की जाती है। इन 12 संस्थानों में लड़के और लड़कियों के लिए 855 सीटें उपलब्ध हैं। परीक्षा शुल्क 80 रुपये है। इसमें अनु० जाति/अनु० जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण भी होता है।

हाल ही में वेलकम ग्रुप आफ मणिपाल में होटल प्रशासन स्नातक विद्यालय स्थापित किया गया है। वह संस्थान मंगलूर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध है तथा होटल प्रशासन में तीन वर्ष का उपाधि पाठ्यक्रम प्रदान करता है। इसमें 50% कुल अंकों सहित +2 उत्तीर्ण व्यक्ति प्रवेश ले सकता है। प्रवेश एक प्रवेश परीक्षा के माध्यम से सामूहिक चर्चा के उपरांत होता है।

देश में 12 फूड क्राफ्ट संस्थान हैं जो विविध व्यवसायों जैसे पाक-विधि, बेकरी क्रिया, मिष्ठान बनाना, होटल स्वागत गृह व्यवस्था एवं हिसाब-किताब आदि में प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं। इन प्रशिक्षणों की अवधि 6 महीने से 1 वर्ष तक की होती है । 50% अंकों सहित दसवीं कक्षा उत्तीर्ण व्यक्ति प्रवेश के योग्य हैं ।

जो संस्थागत प्रशिक्षण प्राप्त करने में असमर्थ हैं वे शिक्षुता अधिनियम: 1961 के अन्तर्गत नौकरी पर ही प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। कुछ व्यवसाय जैसे बावर्ची, गृह व्यवस्थापक, स्वागतकर्ता, रेस्तरां परिचारिका आदि इन कार्यक्रमों में आते हैं । प्रशिक्षण की अवधि एक से तीन वर्ष की होती है तथा इसके लिए शैक्षिक-अर्हता 10वीं कक्षा पास है । निर्धारित न्यूनतम आयु 16 वर्ष है । प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षार्थियों को 290 रु० से 380 रु० प्र० माह तक मासिक वृतिका दी जाती है जो प्रशिक्षण के वर्ष पर निर्भर करती है । कुछ प्रतिष्ठित होटल प्रशिक्षार्थियों को अच्छे दर की वृतिका देते हैं । शिक्षुता प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रवेश दो बार दिया जाता है ।

इस क्षेत्र में व्यवसायिक योग्यता प्राप्त महिलाओं के लिए सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों में प्रतिष्ठित होटलों में वेतन पर रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं । यह आशा की जाती है कि वर्ष 1989-90 तक 2.5 लाख पर्यटकों के प्रबन्ध हेतु होटल उद्योग की आवश्यकता होगी। पर्यटकों को ठहराने के लिए होटल उद्योग को 59,000 कक्षों की आवश्यकता होगी । इस समय सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों में लगभग 500 अच्छे होटल हैं जिसमें 32,000 कक्षों की क्षमता है । सरकार पहले से ही 200 नए होटलों को पास कर चुकी है जो 2-3 वर्षों में पूरे हो जायेंगे और जिनमें 15,000 कक्ष होंगे । अत: यह आशा की जाती है कि वर्ष 1989-90 तक पर्यटकों के लिए 47,000 कक्ष उपलब्ध हो जायेंगे । इससे पता चलता है कि अभी भी 12,000 कक्षों की कमी है । सरकार इस उद्योग को प्रोत्साहन प्रदान कर रही है । कुछ राज्य सरकारों ने पर्यटन को एक उद्योग के रूप में मान्यता दी है और होटल निर्मित करने के लिए कुछ प्रोत्साहन भी देती है । पर्यटन उद्योग विदेशी मुद्रा भी कमाता है । पर्यटन द्वारा वर्ष 1986-87 में, 1780 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित की गई जबकि 1985-86 में वह 1450

करोड़ रुपये थी । हाल ही में यह देखा गया है कि तारांकित होटलों में अधिभोग दर 85 से 90% तक बढ़ गई जो कि 1981 में 70% थी । इस प्रकार यह अपेक्षा की जाती है कि निकट भविष्य में इस उद्योग में व्यवसायिक प्रशिक्षण प्राप्त महिलाओं को नौकरी के अच्छे अवसर उपलब्ध होंगे ।

11. बैंक उद्योग

शिक्षित महिलाओं के लिए बैंकों में रोजगार के अच्छे अवसर हैं । बैंक उद्योग में महत्वपूर्ण पदों पर महिलाओं का अनुपात बहुत अधिक है । बैंक उद्योग में महिला अधिकारियों, शाखा प्रबन्धकों, प्रभागीय प्रबन्धकों और निदेशक के पदों पर काफी संख्या में महिलाएं नियोजित हैं । शिक्षित महिलाओं का एक बड़ा भाग बैंक उद्योग के लिपिकीय संवर्ग में नियोजित किया जाता है । इसका कारण इस उद्योग द्वारा नौकरी की सुरक्षा, अच्छा वेतन और कार्य करने के नियमित घण्टों के साथ-साथ पर्याप्त पदोन्नति के अवसर प्रदान करना है । अब तो, यहां तक कि कुछ बैंक शाखाएं केवल महिलाओं द्वारा ही चलाई जा रही हैं ।

राष्ट्रीयकरण के बाद से बैंकिंग उद्योग में बहुत तीव्रता से विकास हुआ है । 1959–87 के दौरान लगभग 28 हजार ग्रामीण शाखाएं खोली गई हैं । 30 जून 1986 को बैंक शाखाओं की संख्या 53,263 थी जबकि जून 1969 में यह संख्या 8,262 थी । आशा है कि दिसम्बर, 1990 तक बैंक शाखाओं की संख्या 81,000 तक पहुंच जाएगी । इसी अवधि में कृषि क्षेत्र को दी गई अग्रिम धनराशि 2% से 16% तक बढ़ गई और छोटे पैमाने के उद्योगों को दिए गए ऋण में नगण्य स्तर से 13% तक वृद्धि हुई । रोजगार के अवसरों में भी महत्वपूर्ण वृद्धि हुई । जून 1969 में केवल 2 लाख कर्मचारी थे । उम्मीद है कि दिसम्बर, 1990 तक कर्मचारियों की संख्या 14 लाख तक पहुँच जाएगी । यह उद्योग भिन्न-भिन्न योग्यताओं वाले युवा स्त्री और पुरुषों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराता है । इसमें न केवल लिपिक, अभियंता, विधि-विशेषज्ञ, अर्थशास्त्री, कम्प्यूटर व्यवसायिक इत्यादि कर्मचारी भी काफी संख्या में कार्यरत हैं । बैंकों की बदलती भूमिका के साथ रोजगार के अवसरों में विविधता आई है ।

जून 1969 में राष्ट्रीयकरण के बाद से भर्ती की नीति में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंकों, सहकारी बैंकों और विदेशी बैंकों में कर्मचारियों और अधिकारियों की भर्ती के संबंध में अपनी नीति और प्रक्रिया है। विदेशी बैंकों में भर्ती के अवसर बहुत अल्प हैं। लिपिक कर्मचारियों और परिवीक्षा (प्रोबेशनरी) अधिकारियों की भर्ती के लिए बीस राष्ट्रीयकृत बैंक, बैंकिंग प्रभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों और भर्ती नीति द्वारा नियंत्रित होते है। राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पन्द्रह बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्डों की स्थापना की गई है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, शारीरिक रूप से विकलांग और भूतपूर्व रक्षा कार्मिकों के लिए पदों में आरक्षण है। उन्हें आयु-सीमा और परीक्षा शुल्क आदि में भी छूट दी गई है। 18–26 के आयुवर्ग के स्नातक लिपिक पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। लिपिक वर्ग की भर्ती लिखित परीक्षा के द्वारा की जाती है जिसमें वस्तुनिष्ठ और वर्णनात्मक प्रश्न होते हैं। लिखित परीक्षा पास करने वालों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है। चुने गए कर्मचारियों को 500 से 1660 रु० का वेतनमान दिया जाता है। परिवीक्षा अधिकारियों की भर्ती बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्डों के द्वारा अखिल भारतीय आधार पर की जाती है। इसके लिए 21–28 वर्ष की आयु वर्ग वाले स्नातक योग्य हैं। वस्तुनिष्ठ और साथ ही साथ वर्णनात्मक लिखित परीक्षा के द्वारा चयन किया जाता है। लिखित परीक्षा पास करने वाले व्यक्तियों को सामूहिक चर्चा के लिए बुलाया जाता है। जिसके उपरांत साक्षात्कार होता है।

भारतीय स्टेट बैंक में अधिकारी संवर्ग की भर्ती बम्बई में स्थित केन्द्रीय भर्ती बोर्ड द्वारा की जाती है। क्षेत्रीय भर्ती बोर्ड, लिपिक वर्ग के कर्मचारियों की भर्ती करते है। परीक्षा का स्वरूप लगभग बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्डों के स्वरूप जैसा ही होता है। राष्ट्रीयकृत बैंकों की तुलना में इसमें वेतन किंचित अधिक है।

भारतीय रिजर्व बैंक में अधिकारियों की भर्ती, भारतीय रिजर्व बैंक सेवा बोर्ड द्वारा की जाती है। लिपिक वर्ग की भर्ती भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से की जाती है। लिपिक वर्ग की भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा का स्वरूप बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड

के जैसा है । भारतीय रिजर्व बैंक में भारतीय स्टेट बैंक या राष्ट्रीयकृत बैंको की तुलना में वेतन अधिक है ।

बैंकिंग उद्योग में तकनीकी पदों पर भर्ती सामान्यत: केवल साक्षात्कार द्वारा की जाती है । इन पदों के लिए शैक्षिक अर्हता संबंधित क्षेत्र में डिग्री के साथ दो से लेकर तीन वर्ष का अनुभव अपेक्षित है ।

बैंकिंग उद्योग का विस्तार, अब ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहा है । महिलाएं सामान्यत: तब वरिष्ठ स्तर के पदों पर पदोन्नति को स्वीकार नहीं करती है जब कहीं बाहर, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में उनका स्थानांतरण किया जाता है ।

12. उपचारिका (नर्स)

उपचर्या (नर्सिंग) उतनी ही पुरानी है, जितनी कि स्वयं सृष्टि । "नर्स दूसरों को जिन्दा रखने के लिए सेवा करती है" । यद्यपि प्राचीन समय से इसे धार्मिक कर्तव्य माना जाता रहा है। समय के साथ-साथ नर्सिंग संस्थागत हो गई है । उपचारिका (नर्स) बीमारी की रोकथाम, स्वास्थ्य-वर्धन, अक्षमता की रोकथाम और अपंगों को ठीक करने में लोगों की सहायता करती है । बीमारी की स्थिति में वह रोगियों को शय्या पर ही उपचर्या उपलब्ध कराती है । वह मरीज की जांच और आपरेशन में चिकित्सकों की सहायता करती है । वह मरीजों के उपचार तापमान, नाड़ी गति आदि का रिकार्ड लिखती है । वह प्रथम उपचार भी करती है । वह आपरेशन के लिए भी मरीजों को तैयार करती है ।

उपचर्या कार्यक्रम तीन प्रकार के हैं--

1. विज्ञान स्नातक उपचर्या (बी०एस०सी० नर्सिंग)
2. सामान्य उपचर्या और प्रसूति विद्या पाठ्यक्रम
   (जनरल नर्सिंग एण्ड मिडवाइफरी कोर्स)
3. अतिरिक्त उपचर्या पाठ्यक्रम
   (ऑक्जीलरी नर्सिंग कोर्स)

विज्ञान स्नातक उपचर्या पाठ्यक्रम

यह पाठ्यक्रम उनके लिए है जिन्होंने जीव विज्ञान भौतिकी और अंग्रेजी में +2 परीक्षा पास की है। न्यूनतम आयु 17 वर्ष है। पाठ्यक्रम की अवधि 4 वर्ष है।

सामान्य उपचर्या और प्रसूति विद्या पाठ्यक्रम

(जनरल नर्सिंग एण्ड मिडवाइफरी कोर्स)

यह पाठ्यक्रम बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण के लिए है। अपेक्षित आयु 17–32 वर्ष है। पाठ्यक्रम की अवधि 3½ वर्ष है।

अतिरिक्त उपचर्या पाठ्यक्रम

(ऑक्जीलरी नर्सिंग कोर्स)

यह 16–35 वर्ष की आयु वर्ग के मैट्रिक पास वालों के लिए है। पाठ्यक्रम की अवधि 1½ वर्ष है।

विज्ञान स्नातक (नर्सिंग) पास करने वालों के लिए नर्सिंग में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम भी उपलब्ध है। पाठ्यक्रम की अवधि 2 वर्ष है।

नर्सिंग में स्नातकोत्तर व्यक्ति एक वर्ष की अवधि का नर्सिंग में एम० फिल० की उपाधि भी ले सकते हैं। ये पाठ्यक्रम उनके लिए ज्यादा उपयोगी है, जो उपचर्या (नर्सिंग) में शिक्षण कार्य करना चाहते हैं।

एक प्रशिक्षित उपचारिका बड़े शहरों में अपना स्वतंत्र व्यवसाय भी शुरू कर सकती है। वह निजी उपचर्या गृहों में भी कार्य कर सकती है। सामान्यतः वे अस्पतालों, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य केन्द्रों, रेलवे और सशक्त सेनाओं, कर्मचारी राज्य बीमा निगम आदि में नियोजित हैं। आजकल उपचर्या (नर्सिंग) में विशेषज्ञता भी हासिल की जा सकती है यथा—तांत्रिका उपचर्या, मनोविज्ञान, बाल चिकित्सा, विकलांग विज्ञान, गहन परिचर्या और कोरोनरी केयर में विशेषज्ञ हो सकता है। योग्य उपचारिकाओं के लिए विदेशों में, विशेषकर खाड़ी के देशों में रोजगार के अच्छे अवसर उपलब्ध हैं।

12. (क) चिकित्सा प्रयोगशाला तकनीशियन

चिकित्सा प्रयोगशाला तकनीशियन का कार्य अस्पतालों और नैदानिक प्रयोगशालाओं में चिकित्सा परीक्षण करके बीमारी का पता लगाने, उपचार करने या बीमारी की रोकथाम करने में चिकित्सकों, शल्य चिकित्सकों और चिकित्सा विशेषज्ञों की सहायता करना है। इसे विभिन्न प्रकार के परीक्षणों के लिए विभिन्न उपकरणों/यंत्रों को लगाना और संचालित करना पड़ता है। ये ज्यादातर व्यवच्छेदन/शरीर क्रिया विज्ञान, हृदय विज्ञान, तंत्रिका विज्ञान, जीव रसायन विकृति विज्ञान और सूक्ष्म जैविकी विभागों में कार्यरत हैं।

इस विषय में व्यक्ति को प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम का डिप्लोमा के लिए संस्थागत प्रशिक्षण लेना पड़ता है। प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम की अवधि एक से दो वर्ष है। शैक्षिक अर्हता मैट्रिक है। डिप्लोमा पाठ्यक्रम उनके लिए है, जिन्होंने विज्ञान विषय के साथ दसवीं कक्षा पास की है। यह महिला पॉलिटेक्नीकों में उपलब्ध हैं। डिप्लोमा पाठ्यक्रम में गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश मिलता है। ये तकनीशियन अस्पतालों, उपचर्या-गृहों, चिकित्सा अनुसंधान संस्थानों, निदान गृहों, दवाइयां बनाने वाली कंपनियों और निजी चिकित्सकों से संबद्ध प्रयोगशालाओं में रोजगार पा सकते हैं। रक्षा चिकित्सा संस्थानों और स्थानीय निकायों द्वारा भी इनकी नियुक्ति की जाती है।

केन्द्रीय सरकार के प्रतिष्ठानों में उनकी भर्ती प्रायः रोजगार दफ्तरों के माध्यम से की जाती है। इन्हें 1400–2500 के वेतनमान में रखा जाता है। वेतनमान एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न-भिन्न है। वर्तमान अस्पतालों/संस्थानों में चिकित्सा सेवाओं के विस्तार में इनकी रोजगार संभावनाएं काफी बढ़ गई हैं। आशा है कि आने वाले वर्षों में योग्य चिकित्सा प्रयोगशाला तकनीशियनों को रोजगार के समुचित अवसर मिलेंगे, क्योंकि हाल ही में बीमारी का सही-सही पता लगाने के लिए चिकित्सा प्रयोगशाला परीक्षण पर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है।

12. (ख) भौतिक चिकित्सक (फिजिओथेरेपिस्ट)

भौतिक चिकित्सा, में भौतिक साधनों द्वारा इलाज किया जाता है, वह एक प्रकार की चिकित्सा पद्धति है, जो एक डॉक्टर द्वारा मरीज को ठीक करने में, उसके शरीर की पूर्ण सक्रियता को लाने में मदद करने

और उसको फिर से पूर्ण सामान्य जीवन देने में मदद करने के लिए की जाती है। वह किसी वृद्ध महिला को हड्डी टूट जाने या ऑपरेशन के बाद फिर से चलना सिखा सकती है। उपचार के बहुत से नये तरीको के आने से भौतिक चिकित्सा का क्षेत्र काफी विस्तृत हुआ है।

जो व्यक्ति भौतिक चिकित्सा को व्यवसाय बनाना चाहता है, उसे न केवल शैक्षिक और व्यावसायिक योग्यताएं प्राप्त करनी होती है, अपितु उसमें कुछ व्यक्तिगत विशेषताएं भी होनी चाहिए। उसे समझना चाहिए और उनके दुख, तकलीफो के प्रति दयालु होना चाहिए। उसमें उनकी मदद करने की सच्ची निष्ठा होनी चाहिए। रोगी रोगमुक्त होने के लिए व्यक्तिगत प्रयास करें, इससे पूर्व उन्हें प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है। इसे व्यावसायिक पुट को खोये बिना रोगी के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने में समर्थ होना चाहिए। उसे डाक्टरों, उपचारिकाओं, रेडियोग्राफरों, व्यावसायिक चिकित्सकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और अस्पताल के प्रशासनिक कर्मचारियों के निकट सहयोग में कार्य करना होता है।

विभिन्न संस्थानों में भौतिक चिकित्सा में डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। पाठ्यक्रमों की अवधि क्रमशः $3\frac{1}{2}$ वर्ष और 2 वर्ष है। ये पाठ्यक्रम उनके लिए है, जिन्होंने विज्ञान विषय (चिकित्सा वर्ग) में +2 परीक्षा पास की है। न्यूनतम निर्धारित आयु 17 वर्ष है। ये पाठ्यक्रम जून/जुलाई में शुरू होते है। भौतिक-चिकित्सा में 2 वर्ष की अवधि का स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम बम्बई विश्वविद्यालय में उपलब्ध है। इस पाठ्यक्रम में प्रवेश की शर्त भौतिक चिकित्सा में डिग्री या उसके समकक्ष होता है। तीन माह की अवधि का पुनर्स्थापन में स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र और एक वर्ष की अवधि का, पुनर्स्थापन स्नातकोत्तर डिप्लोमा, अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा और पुनर्स्थापन संस्थान, हाजी अली पार्क, महालक्ष्मी, बम्बई में उपलब्ध है।

केन्द्रीय सरकार ने भौतिक चिकित्सकों को 1400-2300 के वेतनमान में रखा जाता है और वे 2375–3500 रू० के वेतनमान में अधीक्षक के स्तर तक पहुंच सकते हैं। भौतिक चिकित्सक अपने क्लिनिक भी स्थापित कर सकते हैं कुछ मुख्य इलेक्ट्रानिक एक्सरसाइजर और भौतिक चिकित्सा उपकरण के कुछ मुख्य निर्माता उन भौतिक चिकित्सकों को

ऋण सुविधाएं भी उपलब्ध कराते है जो अपने पुनर्स्थापन केन्द्र खोलना चाहते हैं । बड़े अस्पतालो में भौतिक चिकित्सा विभाग है, जिनमें यह नियोजित किये जाते हैं ।

12. (ग) व्यावसायिक चिकित्सक

किसी दुर्घटना अथवा रोग के कारण होने वाली अक्षमताओं को यथासंभव ठीक करने में मरीजों की मदद करना व्यावसायिक चिकित्सकों का प्रमुख कार्य होता है । वह रोगियों की सहायता करने में ऐसी क्रियाएं उपलब्ध कराती हैं जिसमें रोगी हिस्सा ले सकें और पुनः अपने सामान्य जीवन की ओर लौट सके । चिकित्सा कर्मचारियों द्वारा रोगियों को चिकित्सा विभाग में भेजा जाता है । व्यावसायिक चिकित्सक का कार्य रोगी की समस्याओं को समझना और उन समाधानों को सोचना है जिनसे रोगी को अपनी स्वतंत्रता और आत्म सम्मान बरकरार रखने में मदद मिल सके । इस कार्य में कल्पना शक्ति पटुता तथा साथ ही साथ सद्भावना, व्यावहारिक योग्यता, अच्छी कलात्मक भावना और उद्यम का होना आवश्यक है ।

व्यावसायिक चिकित्सक मनोविकारों से पीड़ित रोगियो का भी उपचार करते हैं । कभी-कभी ये रोगी जो क्रियाएं कराते है । वे पूर्णता मनो-रंजनात्मक होती है, परन्तु इनका उद्देश्य उन्हें पुनः सामान्य वातावरण में ले जाना होता है ।

व्यावसायिक चिकित्सक में भौतिक चिकित्सक के समान विशेषताएं होनी चाहिए । उसे काफी कुछ उसी के समान प्रशिक्षण भी प्राप्त करना होता है । उसे शरीर रचना विज्ञान और शरीर क्रिया विज्ञान, मनोविज्ञान, चिकित्सा और शल्य क्रिया का भी अध्ययन करना पड़ता है । उसमें रोगी की अशक्तता को पूरी तरह समझने की शक्ति होनी चाहिए । इसके अति-रिक्त उसमे व्यावहारिक कुशलता, वस्तुओं के निर्माण, उन्हें आकार देने तथा विशेषकर मनोवैज्ञानिक कार्य करने में कलात्मक योग्यता होनी चाहिए ।

जिन्होंने 17 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो और अंग्रेजी, भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीवन विज्ञान के साथ +2 परीक्षा पास कर ली है, वे व्यावसायिक चिकित्सा में डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश ले सकते हैं। ज्यादातर पाठ्यक्रम प्रति वर्ष जून/जुलाई में आरम्भ होते हैं ।

योग्य व्यावसायिक चिकित्सक विभिन्न अस्पतालों और अपचयी गृहों के पुनर्स्थापन विभाग में नियोजित है ।

13 पुलिस

जोखिम भरा, खतरनाक परन्तु उत्तेजनापूर्ण-एक ऐसा व्यवसाय है, जिसे अब तक पुरुषों का विशेषाधिकार माना जाता था, किन्तु अब महिला भी आकर्षित हो रही है । चाहे कोई कॉनस्टेबल हो, सब-इन्स-पेक्टर हो या पुलिस अधिकारी हो, सभी में उन व्यक्तियों से, प्रभावकारी व्यवहार के लिए, जो अपराध की दुनिया से संबंध रखते हैं, आत्म-विश्वास, साहस और दृढ़ प्रतिज्ञाकर होना आवश्यक है ।

*महिला कैदी संबंधी राष्ट्रीय विशेषज्ञ समिति ने महिलाओं और बाल अपराधियों पर काबू पाने में महिलाओं की विशेष भूमिका को ध्यान में रखते हुए पुलिस बल में और अधिक महिलाओं को शामिल करने की सिफारिश की है । समिति ने यह सिफारिश भी की है कि महिला पुलिस भर्ती और पदोन्नति को सुरक्षित रखने के लिए आरक्षण किया जाए । समिति ने यह भी कहा है कि महिला पुलिस में शांत रहने, चुनौती देने और अनेक परिस्थितियों पर काबू पाने की अधिक क्षमता होती है। उन क्षेत्रों में उनकी विशेष आवश्यकता होती है, जहां पुलिस महिलाओं के संपर्क में आती है, जिससे महिलाओं के प्रति अभद्रतापूर्ण व्यवहार की शिकायतों को रोका जा सके। पूरे देश में लगभग 3000 महिला पुलिस कर्मी है, जो समस्त पुलिस सेना का केवल 0.4% है। यह अन्य देशों में महिला पुलिस बल की तुलना में बहुत कम है जैसे—सिंगापुर में 12% इंग्लैंड और वेल्स में 7% और अमेरिका में 5% है।

वर्तमान में, महिलाएं पुलिस बल में कांस्टेबल बनकर अथवा आई० पी० एस० (भ०पु०से०) बन कर सीधे प्रवेश पा सकती हैं । महिला कांस्टेबलों के लिए शैक्षिक अर्हता 10वीं कक्षा पास है। निर्धारित कद और भार क्रमशः 157 से०मी० (अनु०जाति/अनु० जनजाति के लिए 5 सेंमी० की छूट) और 45 किलोग्राम है । नेत्र दृष्टि बिना चश्मा लगाए 6/6 होनी चाहिए तथा रंग

*फरवरी 1988 में सरकार को सौंपी गई रिपोर्ट (सी०एस०आर० अप्रैल, 1988) हिन्दुस्तान टाइम्स 13-3-88 ।

अधिक नहीं होनी चाहिए। आयु सीमा 18–25 वर्ष (अनु०जाति/अनु० जन-जाति को छूट) और निर्धारित वेतनमान 950-1400 रु० है। योग्य उम्मीदवारों को चयन बोर्ड के समक्ष उपस्थित होना पड़ता है। पद, रोजगार केन्द्रों के माध्यम से भरे जाते हैं। अभी सहायक इंस्पेक्टर स्तर पर महिलाओं की कोई भर्ती नहीं की जाती है। पुलिस बल में अधिकारी स्तर पर आई०पी०एस० परीक्षा के माध्यम से प्रवेश पाया जा सकता है जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रत्येक वर्ष आयोजित की जाने वाली सिविल सेवा परीक्षा का एक भाग है। 21–26 वर्ष के स्नातक, इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। यह परीक्षा दो भागों में होती है – प्रारम्भिक और मुख्य। यह दिलचस्प बात है कि पहली बार कोई महिला भारतीय पुलिस सेवा में सीधी भर्ती द्वारा सन 1972 में आई। अब 5 पुलिस उप-अधीक्षक और विभिन्न राज्यों में 15 इंस्पेक्टरों के अतिरिक्त भारतीय पुलिस सेवा में 12 महिलाएं हैं।

14. (क) व्यावसायिक प्रबंध

व्यावसायिक प्रबंध का क्षेत्र उन क्षेत्रों में से एक है, जिसमें महिलाएं उच्चतम प्रबंधकीय पदों तक पहुंच गई हैं। उसने उपलब्ध मानव और भौतिक संसाधनों के सही उपयोग में स्वयं को सबसे अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध कर दिया है। अब, वह अनेक बड़े और छोटे संगठनों तथा वाणिज्यिक/औद्योगिक ईकाइयों के क्रियाकलापों में नियोजन, उत्पादन संगठन, समन्वय, विपणन और नियन्त्रण कार्यों को करने की एक कठिन भूमिका निभा रही है। वास्तव में प्रबन्धक किसी संगठन के आधार-स्तम्भ माने जाते हैं और जब तक वे आधार-स्तम्भ ही मजबूत नहीं होंगें, वे वर्तमान और भावी संगठन-स्वरूप की जटिलता को सहन नहीं कर पाएंगे। अतः यह आवश्यक है कि सही प्रकार के प्रबंधकों का चयन किया जाए तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम की एक व्यवस्था के अंतर्गत कुछ प्रशिक्षण देकर उन्हें नियोजित करके सक्षम बनाया जाए। व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित प्रबंधकों की मांग दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है और प्रबंधन शिक्षा प्रदान करने वाले केन्द्र भी अधिक से अधिक स्थापित हो रहे हैं। वर्तमान में, पूरे देश में ऐसे 40 से भी अधिक केन्द्र हैं। यह केन्द्र विविध प्रकार के प्रबन्धन पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं।

प्रबंधन पाठ्यक्रम दो प्रकार के हैं :—

1. डिप्लोमा पाठ्यक्रम, और

2. स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम ।

प्रबंधन में डिग्री पाठ्यक्रम को एम०बी०ए० स्नातकोत्तर (व्यवसाय निष्णात प्रबंध) कहा जाता है । यह दो वर्ष का पूर्णकालीन डिग्री पाठ्यक्रम है जबकि काम कर रहे प्रबंधकीय एवं अधीक्षक कार्मिकों के लिए एम० बी०ए० अंशकालीन डिग्री पाठ्यक्रम की सुविधा अवधि तीन वर्ष है । इसमें प्रवेश हेतु न्यूनतम शैक्षिक अर्हता किसी भी विषय में स्नातक है जिसमें कुल अंक कम से कम 50% होने चाहिए । अंशकालीन एम०बी०ए० डिग्री पाठ्यक्रम के उम्मीदवारों के नाम उस संगठन से प्रयोजित होने चाहिए जिसमें वह कार्य कर रहा है । लिखित परीक्षा के उपरांत सामूहिक चर्चा, तात्कालिक भाषण प्रतियोगिता और उसके उपरांत साक्षात्कार होता है ।

चार भारतीय प्रबंधन संस्थान हैं, जो अहमदाबाद, बंगलोर, कलकत्ता तथा लखनऊ में स्थित हैं । इनमें प्रवेश लेने के लिए, अखिल भारतीय स्तर पर एक प्रवेश परीक्षा ली जाती है जो विभिन्न केन्द्रों पर दिसम्बर माह में किसी भी समय ली जाती है । प्राय: 50% से अधिक के उम्मीदवार जिनके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होती है, चुने जाते हैं । शेष चुने हुए उम्मीदवार सामान्यत: वाणिज्य, विज्ञान, विधि, अर्थशास्त्र तथा कृषि क्षेत्रों से होते हैं । उम्मीदवार उपयुक्त वैकल्पिक प्रश्न पत्रों या ऊपर बताई गई शिक्षा की उप-शाखाओं में से किसी एक को चुन सकता है।

प्रबंधन में डिप्लोमा एक विशिष्ट शाखा (क्षेत्र) होता है । सामान्यत: डिप्लोमा पाठ्यक्रम की अवधि एक शैक्षिक वर्ष होती है । इनमें से कुछ की सूची निम्नलिखित है :—

1. विपणन प्रबंधन में डिप्लोमा (डी०एम०एम०)—1 वर्ष ।
2. कार्मिक प्रबंधन एवं श्रमिक कल्याण में डिप्लोमा (डी० पी०एम० एल० डब्ल्यू०)—1 वर्ष ।
3. व्यवसाय प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (डी०बी०एम०)—1 वर्ष ।
4. व्यवसाय एवं औद्योगिक प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (डी०बी० आई० एम०)—1 वर्ष ।

5. विपणन एवं बिक्री प्रबंधन में डिप्लोमा (एम०एस०एम०)—1 वर्ष ।

6. औद्योगिक संबंध एवं व्यवसाय प्रबंधन में डिप्लोमा (आई०आर० बी०एम०)—1 वर्ष ।

7. निर्यात/आयात प्रबंधन में डिप्लोमा 1—वर्ष ।

8. सामग्री प्रबंधन में डिप्लोमा—1 वर्ष ।

9. पर्यटन एवं यातायात प्रबंधन में डिप्लोमा—1 वर्ष ।

10. औद्योगिक एवं फैक्टरी प्रबंधन में राष्ट्रीय डिप्लोमा (डी०आई०एफ० एम०)—1 वर्ष ।

11. कार्यालय एवं प्रगति प्रबंधन में राष्ट्रीय डिप्लोमा (डी०ओ०एम०)—1 वर्ष ।

12. बजट प्रबंधव में डिप्लोमा—1 वर्ष ।

13. उत्पाद प्रबंधन में डिप्लोमा—1 वर्ष ।

14. होटल प्रबंधन में डिप्लोमा—3 वर्ष ।

15. चिकित्सालय प्रशासन में डिप्लोमा—1 वर्ष ।

डिप्लोमा पाठ्यक्रम बहुत से प्रबंधन विश्वविद्यालय संकायों के साथ ही अन्य कई संस्थाओं द्वारा भी चलाए जाते हैं । पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला, कार्मिक प्रबंध एवं औद्योगिक संपर्क संस्थान, चंडीगढ़ (केन्द्र-शासित प्रदेश) तथा कम्प्यूटर प्रबंधन का भारतीय संस्थान, बी-5, सामेत, केशव नगर, अहमदाबाद-380 027, द्वारा प्रबंधन अध्ययनों में पत्राचार डिप्लोमा पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं । इन पाठ्यक्रमों की अवधि एक वर्ष है । अध्ययन की किसी भी शाखा के स्नातक इसमें प्रवेश के पात्र हैं। मुक्त विश्वविद्यालय भी प्रबंधन पाठ्यक्रमों को चलाते है। हाल ही में दिल्ली विश्वविद्यालय ने व्यापार अध्ययन में डिग्री नाम से एक पाठ्यक्रम चलाया है । इस पाठ्यक्रम में वे प्रवेश पा सकते हैं, जिन्होंने +2 परीक्षा में कम से कम 50% अंक लेकर उत्तीर्ण की है । इस पाठ्यक्रम में प्रवेश एक वस्तुनिष्ठ परीक्षा तथा साक्षात्कार के आधार पर होता है । बिरला प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान, पिलानी भी चार वर्ष का एक एकीकृत पाठ्यक्रम चलाता है ।

डिग्री/डिप्लोमा को पूरा कर लेने के पश्चात् प्रमुख संगठन सफल उम्मीदवारों को प्रबंध प्रशिक्षार्थियों के रूप में 6 माह से 24 माह की निर्धारित अवधि के लिए प्रवेश देते हैं । इस अवधि के दौरान प्रशिक्षार्थियों को 750 रुपये से 1500 रुपये प्र०मा० के बीच छात्रवृत्ति दी जाती है । प्रशिक्षण की निर्धारित अवधि पूरी कर लेने के बाद प्रबंधन प्रशिक्षार्थियों को संबंधित संगठन के नियमित प्रबंधन संवर्ग में नियोजित कर दिया जाता है । प्रारम्भ में उन्हें अपने-अपने क्षेत्रों में सहायक प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया जाता है ।

आम तौर पर महिला कार्मिक प्रबंधन, श्रमिक कल्याण, विज्ञापन तथा सामान्य प्रशासन के क्षेत्रों में काम करने को ही वरीयता देती है। कुछ महिलाएं तो वित्तीय प्रबंधन को भी बहुत अच्छी तरह संभालती हैं। महिलाएं सफल उद्यमी भी साबित हुई हैं । वह अपने उद्यमों के मामलों का प्रबंध अपने पुरुष प्रतिद्वन्द्वियों की तुलना में अधिक कुशलता से करती हैं । महिला के लिए प्रबंधकीय कुशलता के संबंध में अपनी सक्षमता तथा विदग्धता का प्रदर्शन करने के व्यापक क्षेत्र उपलब्ध है । वह या तो अपना स्वयं का कोई उपक्रम शुरू करके या किसी प्रतिष्ठित संस्थान में प्रबंध तकनीकों तथा कौशल प्राप्त कर लेने के बाद नौकरी करके इन्हें सिद्ध कर सकती है ।

14. (ख) कम्प्यूटर व्यवसाय

विश्व के विकासशील देशों में से भारत का, कम्प्यूटर विज्ञान में अग्रणी होने का एक पृथक अस्तित्व है । भारत इस समय कम्प्यूटर क्रांति के दौर से गुजर रहा है । यद्यपि भारत ने इस क्षेत्र में देर से शुरुआत की है, फिर भी इस स्तर पर इसकी सफलता काफी प्रभावपूर्ण है । सरकार द्वारा विभिन्न विभागों में कम्प्यूटरों की शुरुआत करने, उनके निर्माण, विकास तथा अधिष्ठापन के लिए सही वातावरण उपलब्ध कराया गया है । यह इस तथ्य से स्पष्ट हो जाता है कि कम्प्यूटरों ने सरकारी विभागों तथा संगठनों जैसे इण्डियन एयरलाइन्स, एयर इंडिया भारतीय रेल, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, नाभिकीय उर्जा केन्द्रों, मौसम विभागों आदि में कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है । परिणाम स्वरूप बड़ी मात्रा में आर्थिक संसाधनों तथा बहुमूल्य समय की बचत हुई है । यह अन्य विभागों जैसे शिक्षा,

व्यवसाय एवं वित्त, बैंकिंग संस्थाओं आदि तक पहुंचने के लिए अपना क्षेत्र विस्तृत कर रहा है । इस तरह कम्प्यूटर ने रोजगार संभावनाओं के नए क्षितिज उत्पन्न किए हैं । अब कम्प्यूटरों का प्रयोग रोग का पता लगाने, मिसाइलों को दिशा निर्देश देने, अंतरिक्ष यान, वायु प्रतिरक्षा में समन्वय रखने तथा दिनचर्या के अन्य कार्यों के लिए किया जाता है ।

कम्प्यूटरों का प्रयोग व्यापक रूप से व्यापार एवं वाणिज्य में किया जाता है । बैंकिंग, प्रबन्धन, शेयर बाजार, बीमा तथा अन्य वित्तीय लेखा कार्य; व्यापार एवं वाणिज्य क्षेत्र में कम्प्यूटर के प्रयोग के कुछ उदाहरण हैं ।

बुकिंग और समसामयिक के संगठित एवं समन्वित प्रयासों के माध्यम से रेल, वायुमार्ग, समुद्रीमार्ग तथा जलमार्ग यातायात और पर्यटन में कम्प्यूटरों को व्यापक स्तर पर प्रयोग में लाया जा रहा है । कम्प्यूटरों के प्रयोग ने चिकित्सा सेवाओं में उपलब्ध सुविधाओं तथा रोगिओं के रोग निदान करने की प्रणाली को और भी समृद्ध किया है। कम्प्यूटरों का टेलीफोनों एवं टेलीग्राफ प्रणाली तथा विदेशी संचार साधनों के माध्यम से सही संचार संप्रेषण को बिना किसी रूकावट के कुशलता के साथ पहुंचाने में बहुत बड़ा हाथ रहा है । बड़े रोजगार कार्यालयों को भी कम्प्यूटर युक्त किया जा रहा है, जिससे वह नौकरी ढूढंने वालों को तथा नियोक्ताओं को अच्छी तथा कुशल सेवाएं उपलब्ध करा सके ।

कम्प्यूटर के ऐसे दो बड़े क्षेत्र है, जो रोजगार के अच्छे अवसर उपलब्ध कराते है, वह निम्नलिखित हैं :—

1. कम्प्यूटर हार्डवेयर

2. कम्प्यूटर साफ्टवेयर

कम्प्यूटर हार्डवेयर के अन्तर्गत इस क्षेत्र से संबंधित कम्प्यूटरों के हिस्सों तथा अन्य कल पुर्जो के निर्माण के अतिरिक्त कम्प्यूटरों की डिजाइनिंग, निर्माण एवं उनका रख-रखाव आता है ।

कम्प्यूटर साफ्टवेयर के अंतर्गत भाषाओं जैसे अलगोल, फोट्रन, कोबोल, पास्कल, बेसिक आदि की मदद से कम्प्यूटर से प्रोग्राम आते हैं । इन भाषाओं का प्रयोग प्रोग्रामिंग, कम्प्यूटर से आंकड़े, डालने तथा

सही परिणामों के लिए इनका विश्लेषण करने के लिए किया जाता है।

वे व्यक्ति, जो कम्प्यूटर क्षेत्र में व्यवसायिकता अपनाना चाहते है, उन्हें एक या अन्य कोई प्रशिक्षण प्रमाण/डिप्लोमा/डिग्री प्राप्त करना आवश्यक होगा, जो उन्हें किसी पद विशेष को प्राप्त करने के पात्र होगें।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई०आई०टी०) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (बी० एच० यू०) वाराणसी, भारतीय विज्ञान संस्थान (आई० एस०आई०) बंगलौर, बिरला प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान (बी०आई० टी०एस०) पिलानी, रूड़की एवं जादवपूर विश्वविद्यालय तथा वारंगल, तिरूचिरापल्ली, इलाहवाद स्थित क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज तथा अन्य कई संस्थान भी कम्प्यूटर विज्ञान में तकनीकी-स्नातक (बी०टेक०) का डिग्री पाठ्यक्रम चलाते हैं। इनमें प्रवेश, प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होता है, जो उन पुरूष एवं महिला उम्मीदवारों के लिए है, जिन्होंने 12वीं कक्षा विज्ञान विषयों से पास की है। यह चार वर्ष का डिग्री पाठ्यक्रम है।

कम्प्यूटर अनुप्रयोग स्नातकोत्तर में कई प्रकार के वाणिज्यिक, औद्योगिक, वैज्ञानिक तथा प्रशासनिक परिवेशों में आंकड़ा अभिसंस्करण (डाटा प्रोसेसिंग) पर अधिक बल दिया जाता है। जो यह पाठ्यक्रम पूरा कर लेते हैं वे कम्प्यूटर प्रोग्रामर बन सकते हैं, और स्वयं भी भली भांति कम्प्यूटर में अनुप्रयोग पद्धति का विकास कर सकते हैं।

यह पाठ्यक्रम तीन वर्षीय है। इस पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए न्यूनतम अर्हताएं इस प्रकार है :—

गणित/भौतिकी/सांख्यिकी/कम्प्यूटर विज्ञान स्नातक

या

विज्ञान स्नातक (अनुप्रयुक्त विज्ञान)

या

वाणिज्य स्नातक या अन्य कोई समतुल्य एवं संगत अर्हताएं वे उम्मीदवार, जो ऊपर बताई गई इन डिग्रियों में 78% या इससे अधिक अंक प्राप्त करते है, इस पाठ्यक्रम (एम०सी०ए०) में प्रवेश के लिए उनके नाम पर विचार किया जाता है। अनु०जाति/अनु० जनजाति के जो उम्मीदवार 60% अंक प्राप्त करते हैं, उनके नाम पर भी विचार किया जाता है।

इस पाठ्यक्रम के लिए आवेदन प्रत्येक वर्ष के मई माह में आमन्त्रित किये जाते हैं तथा अगस्त माह तक प्रवेश पूरे कर लिए जाते है। इस पाठ्यक्रम को चलाने वाली संस्थाए एवं विश्वविद्यालय इस प्रकार है : दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, हैदराबाद, पूणा, अलीगढ़, बडौदा, अन्ना विश्वविद्यालय, मद्रास, पी०एस० जी० इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी कालेज कोयम्बटूर, थापड़ इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, पटियाला, बी०एम०एस० कालेज बंगलोर, बी० आई०टी० रांची, वी०जे०टी०आई०, बम्बई तथा तिरूचिरापल्ली तथा इलाहाबाद स्थित क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज तथा अन्य कई संस्थान।

स्नातक पूर्व व्यक्तियों के लिए ऐसे पाठ्यक्रम है, जो उन्हें ऑनलाइन आंकड़ा प्रचालन में प्रशिक्षण देते हैं । इस पाठ्यक्रम को पूरा करने वाले प्रशिक्षित प्रोग्रामर सहायक बन जाते है। तथा वह आंकड़ा प्रविष्टि, आंकड़ा अभिसंस्करण, वित्तीय लेखा, पाठसंपादन तथा विषय सूची नियंत्रण विभागों में काम करने के योग्य हो जाते है । क्रम की अवधि एक वर्ष है। दसवीं कक्षा के पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पास करने वाले व्यक्ति इस पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के पात्र हैं । वह पाठ्यक्रम राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान (एन०वी०टी०आई०) नई दिल्ली, सी०टी०आई०, मद्रास, आर०वी०टी०आई०, बंगलोर तथा बम्बई और रायबरेली, हैदराबाद, लखनऊ, हिसार, नई दिल्ली, पांडिचेरी, विशाखापट्टनम स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में तथा कानपुर एवं हैदराबाद स्थित ए०टी०आई० में उपलब्ध है।

इसके अतिरिक्त, ऐसे विभिन्न संस्थान हैं, जो अंशकालिक पाठ्यक्रमों को चलाते हैं । गैर सरकारी संस्थान भी ऊपर बताए गए पाठ्यक्रमों के समान पाठ्यक्रम चलाते हैं । कम्प्यूटर विज्ञान में तकनीकी स्नातक (बी०टेक०) की डिग्री प्राप्त व्यक्ति कम्प्यूटर विज्ञान में तकनीकी स्नातकोत्तर (एम०टेक०) डिग्री में प्रवेश कर सकते हैं। बी० टेक० तथा एम० टेक० डिग्री के अतिरिक्त कुछ संस्थान कम्प्यूटर विज्ञान में विज्ञान स्नातक तथा विज्ञान स्नातकोत्तर डिग्री प्रदान करते हैं । विज्ञान स्नातक डिग्री तीन वर्ष का पाठ्यक्रम है और विज्ञान स्नातकोत्तर दो वर्ष का पाठ्यक्रम है । स्नातकोत्तर व्यक्ति विश्लेषक के रूप में लिये जाते हैं ।

आंध्र प्रदेश, गुजरात, गुवाहाटी, उत्तरी बंगाल (दार्जीलिंग), उत्कल, बिल्लमविलानगर, बंगलौर, केरल, मदुरई कामराज, उस्मानिया, जोधपुर,

कुरुक्षेत्र, पंजाब, जम्मू, अलीगढ़, हैदराबाद, तथा गोपाल विश्वविद्यालय कम्प्यूटर अनुप्रयोग में एक वर्ष का डिप्लोमा पाठ्यक्रम चलाते हैं। अन्य कई संस्थाएं है, जो कम्प्यूटर अनुप्रयोग में 1½ साल का डिप्लोमा पाठ्यक्रम चलाती हैं। प्रायः ये संस्थान सरकार और निजी संगठनों द्वारा पुरूषों और महिलाओं के लिए चलाये जाने वाली पॉलीटेक्नीक संस्था है। साफ्टवेयर एवं हार्डवेयर कम्प्यूटर के क्षेत्र में अनेक प्रकार के विविध पद है। उनमे से कुछ इस प्रकार हैं :—

पद्धति, विश्लेषक [सिस्टम ऐनालिस्ट]

एक पद्धति, विश्लेषक वह व्यक्ति होता है जिसे कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग का अच्छा ज्ञान होता है। उसे इन्टर-रिलेटिड प्रोग्राम के सीरिज, समय आकलन, हार्डवेयर पद्धति, संसाधन मांग एवं डिजाइनिंग, लेखन एवं प्रोग्राम को निकालने आदि के बारे में पर्याप्त व्यावहारिक ज्ञान एवं अनुभव होना चाहिए। उसमें विवरणों की महत्ता को जांचने और सक्षमता अध्ययन को तैयार करने आदि का गुण होना चाहिए।

एक पद्धति-विश्लेषक को कम्प्यूटर विज्ञान अथवा इंजीनियरी में उपाधि प्राप्त होना अपेक्षित है। उसे पद्धति-विश्लेषण एवं प्रोग्रामिंग में व्यवसायिक प्रशिक्षण भी प्राप्त होना चाहिए। उससे अपेक्षा की जाती है कि उसे विस्तृत प्रयोगों के विकास क्षेत्र में 4—6 वर्ष का व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए तथा किसी एक अथवा अनेक कम्प्यूटर भाषाओं का विशेष ज्ञान होना चाहिए।

कम्प्यूटर प्रोग्रामर

एक कम्प्यूटर प्रोग्रामर को इस प्रकार के प्रोग्राम बनाने होते हैं कि निर्दिष्ट इनपुट के आधार पर निर्दिष्ट आउटपुट प्राप्त हों। वह अपने इस लक्ष्य को अपने काम की आवश्यकताओं, पाबन्दियों एवं अन्य मांगों के साथ बिना किसी समझौते के प्राप्त कर सकती है।

भर्ती के लिए अपेक्षित अर्हताएं विविध संगठनों में अलग-अलग होती है। इसके लिए उसके पास किसी भी क्षेत्र में स्नातक डिग्री होनी चाहिए तथा निजी प्रतिष्ठित संस्थान से कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग में डिप्लोमा प्राप्त होना चाहिए। उसे कम से कम दो कम्प्यूटर भाषाओं का ज्ञान भी होना चाहिए।

आंकड़ा प्रविष्टि प्रचालक

आंकड़ा प्रविष्टि प्रचालक कनिष्ठ स्तर का कम्प्यूटर व्यवसायिक व्यक्ति होता है । ऐसा व्यक्ति, जो आंकड़ा प्रविष्टि प्रचालक बनने की इच्छा रखता है, वह विज्ञान में मैट्रिक पास होना चाहिए और आंकड़ा-प्रविष्टि में प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए। यह प्रशिक्षण औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में उपलब्ध हैं ।

कन्सोल संचालक

कन्सोल संचालक इलेक्ट्रॉनिकी आंकड़ा अभिसंस्करण (प्रोसेसिंग) के लिए उत्तरदायी होता है । उसके पास कम्प्यूटर विज्ञान/अनुसंधान प्रचालनों/सांख्यिकी/ भौतिकी/ गणित अथवा इंजीनियरी में स्नातकोत्तर की उपाधि होनी चाहिए । उसे इलेक्ट्रानिक्स आंकड़ा अभिसंस्करण (प्रोसेसिंग) कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग पद्धति डिजाइन एवं विश्लेषण में भी कुछ अनुभव प्राप्त होना चाहिए ।

14 (ग) महिला उद्यमी

राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और आर्थिक स्थिति में महिलाओं की भूमिका के संदर्भ में बढ़ती हुई सुग्राह्यता और उपयुक्तता की दृष्टि से महिलाओं के छिपे गुण धीरे-धीरे सामने आ रहे हैं । महिलाएं अपने अस्तित्व, अपने अधिकारों और अपनी कार्य स्थितियों के प्रति जागरूक हो गई हैं । वे अपने लक्ष्य की ओर अग्रेसर है । हाल ही में, महिलाओं ने विविध अवरोधों को दूर कर लिया है । घर की गतिविधियों में व्यस्त रहने की अपेक्षा उन्हें आर्थिक एवं सीमांत क्रिया-कलापों को करना प्रारम्भ किया है । हाल ही में महिलाओं ने आर्थिक क्रिया-कलापों में बढ़-चढ़कर एक शुरूआत की है । सरकारी स्तर पर महिला विकास की भूमिका पर अधिक बल दिया जा रहा है, विशेषकर सरकार द्वारा उद्यमवृत्ति को विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है ।

शैक्षिक स्तर पर, महिलाएं किसी भी विषय में पीछे नहीं हैं । उन्हें स्नातक, स्नातकोत्तर एवं कला, वाणिज्य, विज्ञान और अन्य व्यवसायिक व्यापारों में वाचस्पति (डाक्टोरल) उपाधि प्राप्त है । अब वे इंजीनियरी में स्नातक, इंजीनियरी एवं नान-इंजीनियरी में डिप्लोमा धारक एवं

प्रमाण-पत्र प्राप्त हैं। सामान्यतः विविध सामाजिक, आर्थिक एवं व्यक्तिगत कारणों के कारण वे शैक्षिक संस्थानों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और बड़ी औद्योगिक इकाइयों में वेतन-भोगी नौकरी करती हैं। कारण इस प्रकार हैं:—

1. स्वयं की योग्यताओं पर विश्वास न होना ।
2. महिलाओं की योग्यताओं में समाज का विश्वास न होना ।
3. सही प्रेरणा एवं मार्गदर्शन का अभाव ।
4. सामाजिक बंधनों का भय कि उसकी उद्यमवृत्ति समाज के परम्परागत संगठित सामाजिक व्यवस्था का उल्लंघन न करें ।

यद्यपि उपर्युक्त कारण बहुत सी शिक्षित महिलाओं को स्व-रोजगार चलाने से रोकते हैं, फिर भी उनमें से असंख्य अपने अप्रयुक्त व्यापक गुणों के पार देखने में सक्षम हैं। यदि उन्हें ठीक से प्रेरित करें तो वे उद्यमवृत्ति अपना सकती हैं। उद्यमवृत्ति कोई एकान्त कार्य नहीं है। यह एक कठिन कार्य है जिसमें अध्यवसाय एवं दृढता तथा सफल होने की उत्कृट इच्छा का होना अति आवश्यक है।

महिला उद्यमियों में स्व-नियोजित बनने के लिए निम्नलिखित गुण होने जरूरी हैं :—

1. कठिन श्रम करने की क्षमता।
2. कल्पना शक्ति ।
3. दूरदर्शिता ।
4. उत्तरदायित्व की भावना ।
5. मिलनसार स्वभाव ।
6. स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता ।
7. जोखिम लेना ।
8. प्रबन्धकीय कुशलता ।
9. नेतृत्व की योग्यता ।
10. व्यापार पटुता ।

महिलाओं की व्यापक उद्यमी प्रतिभाओं की संभावनाओं को मद्देनजर रखते हुए जिनका रोजगार के अवसर जुटाने में प्रयोग किया जा सकता है, लघु उद्योग विभाग संगठन ने अपने लघु उद्योग सेवा संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से, समाज के कमजोर वर्गों और महिलाओं में इस प्रतिभा का विकास करने की योजना बनाई है। ये संगठन महिला

उद्यमियों को अपने स्वयं के छोटे उद्योग चलाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उत्पादन के प्रकारों एवं क्रिया-कलापों पर उन्हें तकनीकी सहायता एवं मार्गदर्शन दिया जा रहा है। जिससे वे लाभप्रद स्व-रोजगार चला सके।

महिलाओं को उद्यमकारी रोजगार लेने के लिए विशेष प्रोत्साहन देकर भी सहायता देना आरम्भ किया गया है। इसमें भूमि के आवटन में वरीयता, औद्योगिक क्षेत्रों में जगह देने, ऋण देने, वित्तीय सहायता एवं वृत्तिका आदि सम्मिलित हैं। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक में महिलाओं को दिये जाने वाले ऋणों पर ब्याज की वार्षिक दर 9 से 12.5% होती है जबकि सामान्य ब्याज दर 12.5% से 15% है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक में महिला उप उद्यमियों के लिए कुछ विशेष कार्यक्रम भी हैं, विविध वित्तीय निगमों में भी महिला उद्यमियों के लिए विभिन्न स्तरों पर विशेष योजनाएं हैं।

इसके अतिरिक्त, केवल महिला उद्यमियों के लिए उद्यमवृत्ति विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जो सामान्यतः एक माह की अवधि के होते हैं। महिलाओं का उद्यमवृति विकास कार्यक्रम एक पूर्वकालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम है। इस प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में सैद्धांतिक एवं प्रयोगिक पक्ष दोनों निहित होते हैं। वे पाठ्यक्रम उत्पाद प्रक्रियान्मुखी होते हैं। भाग लेने वाली महिलाओं का उनके तकनीकी प्रबन्धकीय पत्र सहित विपणीय माल के उत्पादन और सेवाओं में शिक्षित किया जाता है। तकनीकी पक्षों में प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण भी इसमें निहित होता है। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए उत्पाद/प्रक्रिया के चयन में स्थानीय आवश्यकताएं और कुशलता मुख्य आधार होती हैं। प्रशिक्षण की अवधि के दौरान प्रशिक्षार्थियों को 100 रूपये प्रति माह की वृत्तिका दी जाती है।

ये प्रशिक्षण कार्यक्रम उद्यमियों की उपलब्धि तथा उनके अभिप्रेरण क्षमता को बढ़ाने में सहायता करते है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों से अधिकाधिक लाभ उठाने के उद्देश्य से महिला प्रशिक्षार्थियों को अपने औद्योगिक कार्य को सफलतापूर्वक स्थापित करने के लिए प्रशिक्षण उपरांत पर्याप्त सहायता प्रदान की जाती है। ले०उ०से०स० राज्य स्तर की एजेन्सियों जैसे उद्योग निदेशालय, राज्य वित्तीय निगम, राज्य लघु औद्योगिक निगम, बैंक आदि के सक्रिय सहयोग से महिलाओं के लिए अपने उद्यमकारी विकास कार्यक्रम बनाते और संचालन करते हैं। जिससे बिना अधिक दबाव के प्रशिक्षण के उपरांत अपेक्षित अधिकतम सहायता प्रदान की जा सके।

ऐसे हजारों उद्योग हैं, जो महिला उद्यमियों द्वारा बड़ी आसानी से लगाए जा सकते हैं। लगभग 860 मदें है, जो केवल छोटे पैमाने के उद्योगों के लिए हैं। संभावित महिला उद्यमियों के लिए बहुत सी सुविधाएं उन्हें सफलतापूर्वक कार्य लगाने के लिए दी गई हैं। अचल परिसम्पतियों में और निर्मित वस्तुओं के विपणन क्रय पर 15% विशेष आर्थिक सहायता जैसी सुविधाएं भी प्रदान की गई हैं।

उपर्युक्त सुविधाओं, अनुदानों, वित्तीय सहायता आदि को देखते हुए जो महिलाएं स्व-रोजगार कार्यों में रूचि रखती हों तथा और अधिक व्यक्तियों को रोजगार देना चाहती हो, वे ऋणों, भूमि आदि के अवसरों को प्राप्त कर इस क्षेत्र में आगे आ सकती हैं। समाज में महिलाओं के लिए इस प्रकार का वातावरण बनाना है जिससे वे अपनी स्वतंत्र पहचान बना सके और मात्र पुरूषों की प्रतिपक्षी होकर न रह सके। विवाह पूर्व एवं विवाह-उपरांत संपत्ति के स्वामित्व से संबंधित कुछ सामाजिक प्रथाओं और नियमों में परिवर्तन अपेक्षित है जिससे परि- सम्पत्तियों को उधार देने और उनके अर्जन में सुविधा हो सके।

हमने ऐसे विभिन्न क्षेत्रों के सम्बन्ध में चर्चा की है जिनमें महिलाओं के लिए रोजगार की पर्याप्त संभावनाएं हैं। तथापि महिलाएं अन्य आर्थिक गतिविधियों में भाग ले रही हैं। अनेक महिलाएं टूरिस्ट गाइड, सज्जक (डेकोरेटर), मंच कलाकार, वाणिज्यिक कलाकार, ब्युटीशियन, चिकित्सक, सामाजिक कार्यकर्ता इलेक्ट्रॉनिक उद्योग और घड़ी उद्योग आदि में संयोजक (असैम्बलर्स) के रूप में काम करती देखी जा सकती हैं। वे कृषि विज्ञानी, डाक्टर, वैज्ञानिक, चार्टरित और लागत लेखाकार, पायलट, इंजीनियर, वकील, फोटो ग्राफर, सम्पादक, प्रेस रिपोर्टर और कम्पनी सेक्रेटरी आदि के रूप में भी काम कर रही हैं। स्व-रोजगार के क्षेत्र में भी वे पीछे नहीं हैं। वे न केवल सिले सिलाए वस्त्र उद्योग और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, चुने हुए वस्त्र उद्योग आदि का प्रबंधन कर रही हैं बल्कि बहादुरी से अन्य क्षेत्रों में भी प्रवेश कर रही हैं। इससे स्पष्ट है कि महिलाएं अब रोजगार के पारम्परिक क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं हैं। वे उन क्षेत्रों में भी श्रेष्ठता प्राप्त कर रही हैं जो अब तक पुरुष प्रधान क्षेत्र समझे जाते थे।

गासमुना—वि 4—227 डी०जी०ई० आर टी (एनडी)/91—10-9-92— 20,750

©
1992

PDGET. 328 (H)
20750-1992 (DSK II)

Price : (Inland) *Rs.* 7.00 (Foreign) £ 0.82 *or* $ 2 52 *Cents.*

प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, नाशिक-422 006 द्वारा मुद्रित
तथा प्रकाशन नियंत्रक भारत सरकार दिल्ली- 110 054 द्वारा प्रकाशित
1992